राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

वॉलिंटियर **(Volunteer)** प्रषिक्षकों के लिए प्रषिक्षण मार्गदर्षिका

- संरक्षक
  पवन कुमार गोयल ;ऽौद्ध
  अतिरिक्त मुख्य सचिव
  स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
  राजस्थान सरकार, जयपुर

- निर्देशन
  डॉ. मोहन लाल यादव ;ऽौद्ध
  राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त
  राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

- मार्गदर्शन
  डॉ. अनिल कुमार
  अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
  राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

- दिशा
  नरेन्द्र कुमार जैन
  उपायुक्त (सामुदायिक गतिशीलता)
  राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

- संयोजन
  डाल चन्द गुप्ता
  उपनिदेशक (सामुदायिक गतिशीलता)
  राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

- संकलन एवं सम्पादन
  डॉ. स्नेहलता शर्मा
  सहायक निदेशक (सामुदायिक गति.)
  राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

- सहयोगी संस्थाएं
  यूनिसेफ, जयपुर
  जतन, जयपुर
  रूम टू रीड़
  ऐजुकेट गर्ल्स, अजमेर
  कैवल्य एजुकेशन फाउण्डेषन, जयपुर
  आई टू आई, जयपुर
  मैजिक बस इण्डिया फाउण्डेषन, जयपुर

- टाईपिंग एवं सहयोग
  जितेन्द्र कुमार सुमन,
  एमआईएस प्रभारी,सामु. गति.,
  रमेष चन्द बैरवा
  रा.स्कू.शि.प.,जयपुर

प्रकाशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

नवम्बर, 2022

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत एवं निपुण भारत मिशन में छात्र–छात्राओं के सीखने के मुख्य आधार के रूप में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को माना गया हैं। विद्यार्थियों में कौषल विकास के लिए शिक्षकों के साथ–साथ समुदाय की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय और समुदाय के बीच सामंजस्य एवं सहयोग को और अधिक मजबूती देने के उद्‌देष्य से वॉलिंयिटर/प्रेरक की अवधारणा पर कार्य की शुरूआत की जा रही है।

वॉलिंटियर (प्रेरक) की 'निपुण भारत' लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वे विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़ने के साथ–साथ उनके ठहराव को सुनिष्चित करेंगे। अभिभावकों को षिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए विद्यालय में उनकी भागीदारी भी सुनिष्चित करेंगे।

वॉलिंटियर्स (प्रेरकों) को अपने कार्य व भूमिका की समझ बने, इस हेतु यह प्रषिक्षण मॉड्यूल बनाया गया है। इस मॉड्यूल में सरल भाषा में सभी आवष्यक जानकारियॉ एवं गतिविधियॉ सम्मिलित की गयी है।

मुझे आषा है कि यह मॉड्यूल प्रेरक प्रषिक्षण के लिए उपयोगी होगा एवं निपुण भारत मिषन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होगा

(पवन कुमार गोयल,पै)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

संदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में बच्चों के बुनियादी अधिगम को बहुत महत्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत कक्षा 3 में प्रवेष लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। थ्वनदकंजपवदंस स्पजमतंबल – छनउमतंबल ौपससे ;थ्स्छद्ध के इस लक्ष्य को बिना सामाजिक सहभागिता के हासिल करना कठिन कार्य है। अतः विद्यालय में समुदाय का जुड़ाव अति–आवष्यक है।

समाज के पढ़े–लिखे षिक्षित युवा, महिलाएँ, समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी प्रेरक की भूमिका में बच्चों में पढ़ने–लिखने के कौषल को विकसित करने एवं अभिभावकों को बच्चों को नियमित तौर पर विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित कर सकते हैं।

प्रस्तुत प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रषिक्षकों एवं प्रेरकों में ''षैक्षणिक नवाचारों'' के प्रति एक समझ विकसित कराने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से विविध षिक्षा कार्यक्रमों, षिक्षा के विकास में समुदाय की सहभागिता तथा स्थानीय परिवेष में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के बारे में भी एक समझ विकसित होगी।

आशा है कि यह प्रषिक्षण मार्गदर्षिका प्रेरकों को अपनी भूमिका व दायित्वों को समझने में मदद करेगी और समुदाय, विद्यालय, शिक्षक तथा अभिभावकों की षिक्षा विकास हेतु सकारात्मक भागीदारी से आगे की पहल करेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(डॉ. मोहन लाल यादव,ौ)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

संदेश

वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा की अदायगी में गुणवत्ता के साथ–साथ, शिक्षा की निरंतरता को बनाये रखने पर भी विशेष ध्यान देने की आवष्यकता है। बच्चों में विद्यमान 'लर्निंग गेप' (सीखने के अंतराल) को कम करने एवं नवाचारी षिक्षा कार्यक्रमों (निपुण भारत मिषन, विद्यांजलि योजना आदि) को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय व समाज के जुड़ाव को और मजबूत किया जाना है। इसकी पहल करते हुए समुदाय स्तर पर प्रेरकों की पहचान कर उनका क्षमतावर्धन किया जाना जरूरी है।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा प्रस्तुत यह वॉलिंटियर प्रषिक्षकों के लिए प्रषिक्षण मॉड्यूल उपर्युक्त उद्देष्य की पूर्ति का ही एक सार्थक प्रयास है। इसके माध्यम से बच्चों की विद्यालय तक नियमित पहुँच बनाने, उनमें सीखने के कौषल को विकसित करने एवं बुनियादी भाषायी एवं गणितीय ज्ञान की अभिवृद्धि में समुदाय आधारित समर्थन व पहल को भी सुनिष्चित किया जा सकेगा।

इस एक दिवसीय प्रषिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरक/वॉलिंटियर अपनी भूमिका को समझ सकेंगे और तदनुसार कार्य करने के लिये प्रेरित होंगे। स्थानीय विद्यालय व समुदाय में सह–सम्बन्ध बढ़ाने, विद्यालयों के लिए संसाधन जुटाने, बच्चों की विद्यालयों में निरतंरता बनाये रखने एवं शिक्षा तंत्र को मजबूती देने में प्रेरकों की महत्ती भूमिका रहेगी।

इन्हीं आशाओं के साथ .....

(डॉ. अनिल कुमार)
अति. राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

कार्यक्रम की प्रस्तावना

प्रदेश में शैक्षिक गतिविधियों में नवाचारों को प्रोत्साहित करने में शिक्षा विभाग ने सदैव तत्परता से पहल की है। राष्ट्रीय षिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत निपुण भारत मिषन व विद्यांजली जैसे षिक्षा कार्यक्रमों की षुरूआत की गयी है, जिन्हें प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना प्रदेष सरकार की प्राथमिकताओं में है।

विद्यार्थियों का नियमित षिक्षा से जुड़ाव व उनमें सीखने के कौषल को समुचित तरीके से विकसित करने में विद्यालय के साथ–साथ समुदाय की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिससे

कक्षा स्तर से कम अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों को कक्षा अधिगम स्तर तक लाया जा सकें औरषैक्षिक नवाचारों के अवसरों की सभी बच्चों तक उपलब्धता को सुनिष्चित किया जा सकें।

इस हेतु वॉलिंटियर आधारित षिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित किया जाना है। जिसमें स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी चिन्हित् किया जा सकें और उन्हें विद्यालय, अभिभावकों व बच्चों की समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान हेतु प्रेरित किया जा सकें।

प्रस्तुत मॉड्यूल के माध्यम से वॉलिंटियर्स को बच्चों का विद्यालयों में नामाकंन, करियर मार्गदर्शन, माता–पिता के साथ जुड़ाव, शिक्षा की निरंतरता, एसएमसी/एसडीएमसी की विद्यालय विकास में सक्रियता , छात्र–छात्राओं की पढ़ाईसंबंधी समस्याओं को शिक्षक तक पहुंचाने जैसे विषयो पर संवाद शुरू करने आदि पहलुओं पर कार्य करने हेतु प्रषिक्षित किया जाएगा। वॉलिंटियर्स को उनके क्षेत्र में पहले से पहचाने गये सीखने में पिछड़े हुए विद्यार्थियों को अपना सहयोग देने के लिए तैयार किया जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि यह पहल समुदाय/ विद्यालयों/शिक्षकों/माता–पिता को और नजदीक लायेगी और उनमें सकारात्मक भागदारी की भावना विकसित होगी। जिसमे गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जायेगा।

उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ये कहा जा सकता है कि वॉलिंटियर एक ऐसा वर्ग है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। इस प्रषिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक वॉलिंटियर्स/प्रेरकों का एक ऐसा समूह तैयार किया जा रहा है जो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण षिक्षा की अदायगी एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करेगा।

,,,,,

अनुक्रमणिका ;प्छक्म्द्ध

सत्र	विषयवस्तु	पृष्ठ सं.
	कार्यक्रम की प्रस्तावना	6
सत्र–1	**कार्यक्रम परिचय एवं प्रारम्भिक शिक्षा की चुनौतियाँ** ➢ स्वागत एवं कार्यक्रम परिचय ➢ षिक्षा का वर्तमान परिदृष्य, प्रारम्भिक षिक्षा में चुनौतियाँ	8.10
सत्र–2	**वॉलिंटियर्स के कार्य एवं भूमिका** ➢ वॉलिंटियर्स का उद्भव व चयन प्रक्रिया। ➢ वॉलिंटियर्स की भूमिका व दायित्व।	11.13
सत्र–3	**षिक्षा कार्यक्रमों की समझ** ➢ निपुण भारत एवं विद्यांजलि कार्यक्रम के बारे में जानकारी। ➢ निपुण भारत कार्यक्रम में वॉलिंटियर्स की भूमिका ➢ षिक्षा विभाग– निरंतर प्रयास ।	14.18
सत्र–4	**षिक्षा कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी** ➢ समुदाय सहभागिता आधारित षिक्षा व्यवस्था।	19.21
सत्र–5	**विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, प्रक्रिया एवं कार्य** ➢ विद्यालय प्रबंध समिति के गठन, प्रक्रिया व कार्यो की जानकारी। ➢ विद्यालय विकास व प्रबंध समिति के गठन, प्रक्रिया व कार्यो की जानकारी। ➢ एसएमसी व एसडीएमसी में प्रेरकों की भूमिका।	22.28
सत्र–6	**बालिका शिक्षा में प्रेरकों की भूमिका** ➢ बालिका षिक्षा के लिये चुनौतियां। ➢ बालिका षिक्षा का महत्त्व। ➢ बालिका षिक्षा हेतु विविध षिक्षा कार्यक्रम। ➢ बालिका षिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में प्रेरकों की भूमिका। ➢ अभिभावकों द्वारा बालिका षिक्षा के महत्त्व को समझना।	29.33
सत्र–7	**प्रभावी संवाद एवं सम्प्रेषण कौषल** ➢ प्रभावी सम्प्रेषण की समझ। ➢ प्रभावी संवाद हेतु ध्यान रखने योग्य बातें।	34.38
सत्र–8	**टीम एवं टीम भावना** ➢ टीम व टीम भावना की समझ।	39.40
सत्र–9	**षिक्षा के लिए वातावरण निर्माण हेतु विषेष अभियान** ➢ विद्यालय चले अभियान। ➢ विद्यालय प्रवेष उत्सव। ➢ विद्यालयों में पढ़ाई जारी रखने के उपाय।	41.44
सत्र–10	**समेकन** ➢ प्रषिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीखी गयी महत्त्वपूर्ण बातों का दोहरा**न।**	45

समय–सारणी

क्र.सं.	सत्र का नाम	समय
1	कार्यक्रम परिचय एवं प्रारम्भिक शिक्षा की चुनौतियाँ	10.00-10.40
2	वॉलिंटियर्स के कार्य एवं भूमिका	10.40-11.20
3	षिक्षा कार्यक्रमों की समझ	11.20-12.00
4	षिक्षा कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी	12.00-12.40
5	विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, प्रक्रिया एवं कार्य	12.40-1.20
मध्यान्तर		1.20-2.20
6	बालिका शिक्षा में प्रेरकों की भूमिका	2.20-3.00
7	प्रभावी संवाद एवं सम्प्रेषण कौषल	3.00-3.30
8	टीम एवं टीम भावना	3.30-3.50
9	षिक्षा के लिए वातावरण निर्माण हेतु विषेष अभियान	3.50-4.30
10	समेकन	4.30-5.00

सत्र–1 कार्यक्रम परिचय एवं प्रारम्भिक षिक्षा की चुनौतियाँ

परिचय :

प्रारम्भिक षिक्षा के उन्नयन के लिए प्रत्येक स्तर पर बहुत अधिक प्रयास किये गये हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये गये सुदृढ़ शिक्षा तंत्र है, लेकिन अथक प्रयासों के बाद सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुँच हेतु अभी और प्रयास किये जाने की जरूरत है। जिसमें प्रेरकों (वॉलिंटियर) की प्रभावी भूमिका है। षिक्षा के क्षेत्र में व्यापक चुनौतियाँ हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। षिक्षा तंत्र एवं इससे जुड़ें विभिन्न मुद्दो को समझने की जरूरत है, जिससे कार्य का निष्पादन बेहतर किया जा सके।

उद्देश्यः

- प्रषिक्षण कार्यक्रम के उद्देष्यों को जानना।
- प्रारम्भिक षिक्षा की चुनौतियों को समझना।

विधा	समय	सामग्री
▪ चर्चा एवं प्रस्तुति ▪ व्याख्यान	40 मिनट	▪ फ्लिप चार्ट, ब्लैक–बोर्ड, मार्कर्स, शीट्स, विषयगत जानकारियों का चार्ट,

गतिविधि – 1 प्रस्तुतीकरण एवं वार्ता

चरण –1 प्रषिक्षण के प्रारम्भ में अतिथियों का औपचारिक स्वागत–सत्कार करें।

सभी प्रतिभागियों के परिचय के लिए गतिविधि–

1. सभी प्रतिभागियों को दो–दो जोड़े के रूप में एक जगह पर बैठायें।
2. प्रत्येक जोड़ा आपस मे एक–दूसरे का परिचय निम्न बिन्दुओ पर लें जैसे– नाम एवं शैक्षणिक योग्यता , 2 रुचि , 2 आदर्श व्यक्ति । (इसके लिए सभी को 2 मिनट का समय मिलेगा)
3. दोनों प्रतिभागी एक साथ (अपने जोड़े में) खड़े होंगे और पहला साथी दूसरे का परिचय देगा फिर दूसरा साथी पहले वाले का परिचय देवें।
4. इस प्रकार बारी–बारी से सभी अपने–अपने साथी का परिचय देंगे ।

चरण– 2 प्रशिक्षक निम्नलिखित बिन्दुओं पर विषय का व्याख्यान प्रस्तुत करें

- **प्रषिक्षण कार्यक्रम का परिचय**
- **उद्देष्य**
- **प्रारम्भिक षिक्षा में चुनौतियों की पहचान करना**

प्रषिक्षण कार्यक्रम का परिचय : –

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रेरकों के लिये आयोजित किया जा रहा है। जिससे उनमें अपने समुदाय में शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों की समझ विकसित हो और वें अपने आसपास के विद्यालयों में कार्य कर बच्चों के सर्वागीण विकास में योगदान कर सकें।

उद्देष्य :

- शिक्षा व्यवस्था में वॉलिंयिटर की आवश्यकता को समझना।
- वॉलिंयिटर के कार्य एवं भूमिका को समझना।
- विद्यालय द्वारा किये जा रहे शैक्षिक प्रयासों को समझना।
- विद्यालय और समुदाय के रिश्तों का महत्त्व समझना।
- वॉलिंयिटर्स विद्यालय विकास एवं शैक्षिक गुणवत्ता हेतु पहल कर सकेंगे।

चरण 3 –प्रतिभागी अगर कोई बात कहना चाहें, तो अवसर दें। परिशिष्ट की मदद से प्रारम्भिक शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करे :–

प्रशिक्षक के लिए निर्देष –

- यह सत्र विषय प्रवेष का मुख्य सत्र है। इस समय कोई मुख्य अतिथि उपस्थित हो तो उन्हें भी शामिल कर विषय पर सम्बोधित करने हेतु अनुरोध करें।
- जानकारी देते समय केवल वार्ता ही नहीं करें, अपितु प्रतिभागियों से संवाद स्थापित कर विषय के बारे में उनमें समझ बनाने का प्रयास करें।
- संलग्न परिषिष्ट का यथोचित उपयोग करें। गांव के सफल लोगों के जीवन की सफलता की कहानियां सुनाने का अवसर दें। ष
- राजस्थान में बालिका षिक्षा की वास्तविक स्थिति को उभारते हुए, चर्चा के माध्यम से कार्यक्रम की आवष्यकता एवं महत्त्व को स्थापित करें।

राजस्थान में षिक्षा का परिदृष्यः वर्तमान में प्रारम्भिक षिक्षा में चुनौतियाँ

आजादी के बाद देष में षिक्षा का विकास हुआ है। सन् 2009 में संसद द्वारा पारित 'निःषुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' षिक्षा विकास के लिए महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिससे बड़े परिवर्तन की सम्भावनाएं हैं। वर्तमान में षिक्षा के आंकड़े संतोषप्रद है। इनकी व्याख्याएं अपने–अपने तरीके से की जा सकती है। बच्चे विद्यालयों में पंजीकृत् तो हुए हैं, **लेकिन बच्चों को विद्यालयों में नियमित बनाये रखना अभी भी एक चुनौती है।**

षिक्षा की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लगातार कई वर्षों से विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकतर **छात्र–छात्राएँ बुनियादी गणित पढ़ और समझ नहीं पाते हैं,**तथा उनमें भाषागत कौशलों के विकास हेतु भी और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गयी जिससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाया जा सकें। यह योजना नई शिक्षा नीति के अनुरूप शुरू की गयी है।

बच्चों को विद्यालयों में बनाये रखने के लिए पाठ्यक्रमों एवं परीक्षाओं में भी सुधार की गुंजाइष हैं। इसके लिए पाठ्यपुस्तकों का गुणवत्तापूर्ण विकास, मानक अथवा स्थानीय भाषा में अध्यापन एवं बच्चों की चिन्तन प्रक्रियाओं में दक्षता लाने की जरूरत है। इन सारी विकास प्रक्रियाओं में समुदाय की भूमिकाएं अति आवष्यक है, षिक्षा अधिकार अधिनियम से इसे ओर समर्थन मिला है।

सत्र–2 वॉलिंटियर्स ;टवसनदजममतेद्ध के कार्य व भूमिका

परिचय :

राजस्थान देश के प्रगतिषील प्रदेशों में से एक है। यहां की विशिष्ट सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने न केवल देश बल्कि सम्पूर्ण विश्व को प्रेरणा दी है लेकिन षिक्षा के क्षेत्र में आज भी व्यापक चुनौतियाँ हैं जिन्हें जानना जरूरी है। विविध शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से कई नवाचार किये जाते रहे हैं। वॉलिंटियर्स भी इस परिकल्पना का एक हिस्सा है। षिक्षा में जन सहभागिता के महत्त्व को **भारत सरकार की राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020** में भी वर्णित किया गया है। इन्ही प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विभिन्न **शिक्षा कार्यक्रम** विकसित किये जा रहे हैं, जिनमें प्रेरकों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।

उद्देष्य:

- वॉलिंटियर्स (प्रेरक) के कार्य के महत्व को समझना।
- वॉलिंटियर्स (प्रेरकों) की शिक्षा कार्यक्रमों में भूमिकाओं को जानना।
- स्वैच्छिक रूप से कार्य करने के विभिन्न तरीकों को जानना।

विधा :	समय :	सामग्री :
प्रस्तुतीकरण एवं वार्ता	40 मिनट	प्रोजेक्टर या फ्लिप चार्ट। वॉलिंटियर्स (प्रेरकों)की भूमिकाओं का चार्ट।

गतिविधि – 1 प्रस्तुतीकरण एवं वार्ता

चरण –1 –प्रषिक्षक परिशिष्ट में दी गई जानकारी द्वारा वॉलिंटियर्स (प्रेरकों) के उद्भव एवं चयन के आधार एवं उनकी भूमिकाओं पर जानकारी प्रदान करें।

चरण –2 प्रतिभागियों को प्रष्न करने के लिए आमन्त्रित करें।

प्रशिक्षक के लिए निर्देष –

- यह जानकारी देते समय केवल वार्ता ही नहीं करें, अपितु प्रतिभागियों से संवाद स्थापित कर विषय के बारे में समझ बनाने का प्रयास करें।
- संलग्न परिषिष्ट का यथोचित उपयोग करें।
- षिक्षा कार्यक्रमों, समुदाय की सहभागिता के महत्त्व को रेखांकित करें।
- मुख्य बिन्दुओं को लिखकर प्रषिक्षण कक्ष की दीवार पर लगवाएँ।
- प्रतिभागियों को प्रोत्साहित कर उनके गाँव की जनसहभागी कहानियाँ सुनाने का अवसर दें। ष

वॉलिंटियर्स ;टवसनदजममतेद्ध

वॉलिंटियर (प्रेरक) भारत सरकार के शिक्षा कार्यक्रमों के तहत एक शैक्षिक नवाचार है, जिसमें स्थानीय व्यक्तियों को विद्यालय में स्वैच्छिक तौर पर सहयोग देने हेतु प्रेरित किया जाता है। छात्र–छात्राओं की षिक्षा में बेहतरी हेतु समुदाय की सहभागिता की संकल्पना ली गयी है। वॉलिंटियर (प्रेरक) इसी समुदाय का प्रतिनिधि है। षिक्षा के उन्नयन के लिए यह प्राथमिक आवष्यकता है कि छात्र–छात्राओं का शत प्रतिषत नामांकन एवं विद्यालयों में ठहराव सुनिष्चित हो। साथ ही गुणवत्तापूर्ण षिक्षा की व्यवस्था भी हो। इन सब में समुदाय से सम्बद्ध प्रेरक अपने दैनिक जीवन में से थोड़ा समय निकाल कर बच्चों के शैक्षणिक विकास में अपना योगदान दे सकता है।

वॉलिंटियर के उच्च संगठन मूल्य होंगे जो **"मेरा गांव, मेरा विद्यालय, मेरे गांव के बच्चे एवं मैं उनका मददगार"** के सिद्धान्त से काम करेंगे। यह विचार एक पूरा कार्यनीतिक दृष्टिकोण है। जिसमें वॉलिंटियर षिक्षा की चुनौतियों को स्वीकार कर स्वयं को एक मददगार की भूमिकाओं में देखेगा।

वॉलिंटियर्स (प्रेरक) षिक्षा के लिए बदलाव के वाहक हैं। ये गांव में षिक्षा की समस्याओं को पहचान कर षिक्षकों की मदद करेंगे। इसके लिए जरूरत होने पर ग्रामजन एव एसएमसी की भी मदद लेंगे।

वॉलिंटियर्स (प्रेरकों) की जिम्मेदारियॉ

- बच्चों को पढ़ने हेतु उचित वातावरण मिले, इस हेतु अभिभावकों से चर्चा कर षिक्षकों तक समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास करना।
- गॉव/विद्यालय स्तर पर शिक्षकों और माता–पिता के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा नियमित करने में सहयोग देना।
- सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना। उन्हें बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना। बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने के लिये कार्य करना।
- बच्चों की समस्याओं को पहचान कर उसका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करना।
- छात्र–छात्राओं को विद्यालय से मिले गृह कार्यों में आ रही समस्याओं को माता–पिता/ डब्ैक्डब एवं शिक्षक तक पहुंचाना।

चिन्हित् मुद्दों को पहचान कर विद्यालयों में गुणवत्ता और षिक्षा के बेहतरी के लिए काम करना। प्रेरक समस्याओं को पहचानना सीखेंगे :–

- क्या सभी छात्र–छात्राएँ विद्यालय में है?
- क्या छात्र–छात्राएँनियमित विद्यालय आ रहें है?

- क्या विद्यालय में बालिकाओं के लिए पृथक् सुविधाएं है? इनका न होना क्या उनकी नियमितता में बाधक हैं?
- क्या छात्र–छात्राएँजो विद्यालय में नियमित आ रहें हैं, वे कक्षा में सीख रहें हैं?
- क्या समुदाय विद्यालय एवं बच्चों के मामलों में रूचि लेता है। अगर नही ंतो कारण जानकर उन्हें भी सक्रिय करना है।

वॉलिंटियर प्रषिक्षण के उपरान्त निम्नलिखित कार्यों को ओर अधिक गति देंगे–

समुचित प्रषिक्षण एवं मार्गदर्शन के बाद विद्यालयों व बालिका षिक्षा की समस्या की पहचान कर सकेंगे तथा निम्नलिखित कार्यों के योग्य होंगे –

- विद्यालयों से वंचित छात्र–छात्राओं की पहचान हेतु सर्वे करना।
- छात्र–छात्राओं के नामांकन एवं ठहराव की वृद्धि।
- विद्यालय आंकलन करने, विद्यालय संचालन व प्रबंधन में मदद।
- प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में सीखने में वृद्धि।

वॉलिंटियर्स अपने लक्ष्य प्राप्ति एवं समस्या समाधान के लिए निम्न काम करेंगे–

- बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को समझाना व षिक्षकों, एसएमसी/एसड़ीएमसी व पंचायत सदस्यों की षिक्षा के विकास के लिए मदद लेना।
- विद्यालय आंकलन, संसाधन विकास हेतु, विद्यालय योजना निर्माण एवं प्रबन्धन के लिए एसएमसी सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करना।
- बच्चों के स्तर आंकलन में षिक्षकों, प्रधानाध्यापकों एवं एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की मदद लेना।
- बच्चों में सीखने का स्तर बढ़ाने के लिए बालकेन्द्रित गतिविधियों से षिक्षकों को परिचित कराने संबंधी आयोजनों में मदद करना। इन तकनीकों पर षिक्षकों को प्रषिक्षण के लिए तैयार करना।
- बच्चों के ज्ञान का पूर्व एवं पष्चात् स्तर आंकलन कर परिणामों को समुदाय में बताना।

बैठकें

प्रेरकों की प्रति माह या निर्देषानुसार बैठकें आयोजित होगी। उसमें कार्यों की समीक्षा सहित आगामी कार्य योजनाओं पर भी विचार विमर्ष करेंगे।

सत्र 3 षिक्षा कार्यक्रमों की समझ

परिचय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु अनेक नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिनके माध्यम से सभी बच्चों के विद्यालयी शिक्षा से जुड़ाव को सुनिश्चित किया जा सके। विद्यांजलि एवं निपुण भारत योजना सहित विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे प्राथमिक शिक्षा एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके।

उद्देष्य :

- षिक्षा के विकास के लिए जारी निपुण भारत, विद्यांजलि आदि कार्यक्रमों की समझ बनाना ।
- षिक्षा के विकास में समुदाय की भूमिकाएँ जानना।
- विद्यार्थियों की षिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की समझ बनाना।

विधा	समय	सामग्री
▪ व्याख्यान ▪ स्थिति प्रदर्शन	40 मिनट	▪ फ्लिप चार्ट, बोर्ड मार्कर्स, पांच बड़ी कार्ड शीट्स, विषयगत जानकारियों का चार्ट,

गतिविधि – 1 प्रस्तुतीकरण एवं वार्ता/व्याख्यान

चरण –1 प्रतिभागियोंको निपुण भारत कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करें।
कार्यक्रम के उद्देष्य, क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं एवं बुनियादी षिक्षा का अर्थ आदि के बारे में बतायें।

चरण– 2 विद्यांजलि कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें।

चरण– 3 विद्यार्थियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दे **(परिशिष्ट के आधार से)**

चरण– 4प्रतिभागी अगर इस समय कोई बात कहना चाहें, तो अवसर दें।

प्रशिक्षक के लिए निर्देष –

- जानकारी देते समय केवल वार्ता ही नहीं करें, अपितु प्रतिभागियों से संवाद स्थापित कर विषय के बारे में समझ बनाने का प्रयास करें।
- प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं होने पर कार्यक्रम के उद्देष्य ,कार्यक्रम का परिचय, प्रारम्भिक षिक्षा में चुनौतियों की पहचान करना आदि पर तैयार चार्ट का उपयोग करें।
- संलग्न परिषिष्ट का यथोचित उपयोग करें। ६
- तैयार चार्ट एवं वार्ता के बिन्दुओं को चर्चा के उपरान्त प्रषिक्षण कक्ष की दीवार पर लगवाएँ।

निपुण भारत 2022

भारत सरकार द्वारा नवीन षिक्षा नीति के तहत प्राथमिक षिक्षा के ं विकास के लिए छप्च्छ ठींतंज ल्वरंदं2022 (छंजपवदंस प्दपजपंजपअम थ्वत च्तवपिबपमदबल पद त्मंकपदह ूपजी न्दकमतेजंदकपदह – छनउमतंबल) की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्री–विद्यालय के विद्यार्थियों में शिक्षा की नींव को मजबूत बनाया जाएगा और इसके लिए निपुण योजना विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम निपुण भारत की शुरुआत 5जुलाई 2021 से की गयी है।

- इसके अन्तर्गत सभी बच्चे जो ग्रेड–3 से ग्रेड–6 में पढ़ रहे हैं उन्हें कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में निपुण बनाना है।जिससे उन्हें वर्ष 2006–2027 तक पढ़ने, लिखने व अंक गणित करने की क्षमता मिल सके।
- सभी सरकारी और गैर सरकारीविद्यालयों में इस मिशन के अंतर्गत सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना का संचालन विद्यालय शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना को सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में लागू किया जायेगा।
- इस मिशन (छप्च्छ ठींतंज डपेपवद) को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की जाएगी जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर संचालन होगा।

योजना का उद्देश्य

निपुण भारत मिशन का उद्देश्य कक्षा 3 से कक्षा 6 के छात्रों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का ज्ञान देना है। जिससे उनकी शिक्षा की नींव मजबूत बन सके।

कार्यान्वयन प्रकिया

कुछ संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टस के निष्कर्षों के अनुसार लगातार कई वर्षों से विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकतर भारतीय छात्र बुनियादी अंक गणित पढ़ और समझ नहीं पाते। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर निपुण भारत मिशन–2022 की शुरुआत की गयी है।

इस मिशन के अंतर्गत 3से 9 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्री विद्यालय 1 प्री विद्यालय 2 और प्री विद्यालय 3 (बाल वाटिका) के बाद ग्रेड 1,ग्रेड 2और ग्रेड 3की कक्षाएँ होंगी। इन छात्रों को इन कक्षाओं के दौरान भाषा और गणित का बेहतर ज्ञान दिया जाएगा। जिससे बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बना सकें।

निपुण भारत कार्यक्रम में वॉलिंटियर्स (प्रेरकों) की भूमिका

- गांव व विद्यालय स्तर पर वालिंटियर्स द्वारा षिक्षकों व माता–पिता के मध्य एक सेतु बनना। विद्यार्थियों की नियमित षिक्षा हेतु सकारात्मक वातावरण निर्माण करना।
- षाला प्रबंध समिति के साथ मिलकर विद्यालय एवं समुदाय स्तर पर विभिन्न षैक्षिक व सह –षैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना।
- विद्यालयों में ड्रॉप–आउट को रोकने तथा नामांकन वृद्धि में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।
- अपने गाँव/समुदाय में छात्र–छात्राओं की षिक्षा की चुनौतियों की पहचान करना एवं उनके समाधान हेतु इन्हें विद्यालय के साथ साझा करना।
- षिक्षा के विविध कार्यक्रमों/योजनाओं को विद्यालय स्तर पर लागू करवाने में सहयोग करना।

अन्य कार्यक्रम

विद्यांजलि कार्यक्रम

सरकार ने एक अलग तरह की सामाजिक सेवा करने के लिए विद्यांजलि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे वो पेशे से शिक्षक हो या सेवानिवृत्त, कोई कर्मचारी या कोई गृहिणी या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर योगदान दे सकता है। अपनी इच्छा से बच्चों को पढ़ा सकता है। विद्यालय संरचना विकास एवं अन्य कार्य स्वैच्छिक रूप से कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य

विद्यांजलि योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को सरकारी विद्यालयों के बच्चों से जोड़ना है जो समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं ये आम नागरिक पेशे से शिक्षक नहीं है लेकिन अपने अनुभव से और अपनी शिक्षा के द्वारा बच्चों की मदद कर सकते हैं।

विद्यांजलि योजना की विशेषताएं

इस योजना के माध्यम से सरकारी विद्यालय के बच्चों को समाज के तरह–तरह के लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके अनुभव से वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। यह योजना आम लोगों को सरकारी विद्यालय से जोड़ती है ताकि सरकारी विद्यालय के छात्रों के विकास में विभिन्न क्षेत्रों के लोगोंका सहयोग प्राप्त किया जा सकें और विद्यार्थियों के लिये समुचित षैक्षणिक वातावरण विकसित हो सके।

शिक्षा विभाग – निरंतर प्रयास

शिक्षा विभाग द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए संचालित योजनाएँ और सुविधाएँ :–

1. गार्गी पुरस्कार :– कक्षा 10 परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक लाने वाली बालिका को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययन पर ₹ 3000 प्रतिवर्ष और प्रमाण–पत्र।
2. बालिका प्रोत्साहन योजना :– कक्षा 12 परीक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय में 75 प्रतिशत अथवा अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को ₹ 5000 प्रतिवर्ष और प्रमाण–पत्र।
3. निःशुल्क साइकिल वितरण योजना :– राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण।
4. इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार . कक्षा 8, 10 और 12 में निम्न वर्गों में जिले पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को क्रमशः ₹ 40,000 75,000 और 100,000 राशि का पुरस्कार–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग, निःशक्त, बी.पी.एल.।
5. मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना :–कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में बीपीएल और अनाथ श्रेणी में जिले में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु कक्षा 11 और 12 में अधिकतम ₹ 1–15 लाख तक और स्नातकोत्तर तक ₹ 2–25 लाख की सीमा में आर्थिक सहायता का प्रावधान।
6. विदेशों में स्नातक शिक्षा की सुविधा :– कक्षा 10 परीक्षा में राज्य की प्रथम तीन बालिकाओं के लिए विदेशों में स्नातक शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय किए जाने हेतु अधिकतम तीन साल के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 25 लाख तक की आर्थिक सहायता।
7. मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं को आर्थिक संबलन– प्रतिवर्ष रुपये 2000 की आर्थिक सहायता दी जाती हैं ५
8. शारीरिक सक्षमता–आर्थिक संबलन पुरस्कार :– कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत शारीरिक रूप से दिव्यांग बालिका को ₹ 2000 प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता।
9. आपकी बेटी योजना :– कक्षा 1 से 12 में अध्यनरत बीपीएल परिवार से बालिका जिसके एक अथवा दोनों अभिभावकों का निधन हो गया हो को आर्थिक सहायता दृ कक्षा 1 से 8 के लिए ₹ 2100 प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 के लिए ₹ 2500 प्रतिवर्ष।
10. काली बाई भील मेधावी स्कूटी योजना :– कक्षा 12वीं में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो आगे भी अध्ययनरत हो, ऐसे बालिकाओं में से राज्य में कुल 600 बालिकाओं को स्कूटी वितरण।
11. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना– कम आबादी क्षेत्र एवं ढाणियां जहाँ निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय संचालन संभव नहीं है, ऐसे स्थानों पर निवास कर रहें 6–14 आयु वर्ग के छात्र–छात्राओं को उनके निवास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमतापूर्वक पहुँच के लिए सत्र 2017–18 से कक्षा 1 से 8 तक के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं हेतु

राज्य सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जा रही हैं। इसी प्रकार बालिका शिक्षा में नामांकन–ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गेप कम करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए भी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जा रहा हैं।

12. यूथ एवं ईको क्लब– बच्चों में जीवन कौशल, आत्म सम्मान व आत्म विश्वास विकसित करने, तनाव, भय, संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब स्थापित किये जाने हैं। इनके माध्यम से बच्चों को अपने आस–पास के पर्यावरण एवं जैव–विविधता के प्रति जागरूक व संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए सभी राजकीय विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लब की सदन (अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश) आधारित स्थापना की जा रही हैं। हरित पाठशाला एवं विद्यालय वाटिका के उद्देश्यों को शामिल करते हुए स 2021–22 में गतिविधि को विस्तार रूप दिया गया हैं ५

13. कंपोजिट विद्यालय ग्रांट– समग्र शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक,उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वछता एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट विद्यालय ग्रांट दिए जाने का प्रावधान हैं। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय के कुल नामांकन के आधार पर ग्रांट जारी की जाती है।

14. स्पोर्ट्स ग्रांट– बच्चों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने तथा बच्चों को शैक्षिक गतिविधियों के साथ–साथ खेलकूद गतिविधियाँ करवाई जाने के लिए 'खेले इण्डिया–खिलें इण्डिया' के अंतर्गत माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों को खेल सामग्री एवं उपकरणों हेतु स्पोर्ट्स ग्रांट से लाभान्वित किया जाता है।

15. लाइब्रेरी ग्रांट–विद्यालयों में बच्चों के लिए की जाने वाली रचनात्मक गतिविधियों के क्रम में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त लाइब्रेरी पुस्तकों से भी लाभान्वित करना है। समग्र शिक्षा में समस्त राजकीय विद्यालयों को लाइब्रेरी पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया हैं, क्योंकि पढने से विद्यार्थियों को पाठ को समझने और व्याख्या करने जैसे मूलभूत कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। यह भाषा और लेखन कौशल दक्षता विकसित करने की दिशा में एक कदम है। पुस्तकें पढने से छात्रों में रचनात्मकता, चिंतन और तर्क शक्ति, सकारात्मक सोच, लेखन कला, शब्दावली संवर्धन के साथ स्वयं को मौखिक एवं लिखित रूप से व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। इस हेतु परिषद् कार्यालय से भी सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं।

सत्र– 4 शिक्षा कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी

परिचय : शिक्षा सहित सभी विकास कार्यक्रमों में जनभागीदारी महत्त्वपूर्ण होती हैं। इससे कार्यक्रमों में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होती हैं। प्रेरक शिक्षा कार्यक्रमों में सीधे तौर पर समुदाय के साथ काम करेंगे। अतः विविध नवाचारी षिक्षण कार्यक्रमों में समुदाय एवं प्रेरकों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। समुदाय की भागीदारी जवाबदेही सुनिश्चित करेगी, साथ ही समुदाय आधारित विद्यालयी शिक्षा को प्रोन्नत करेगी। जिसमें शिक्षा के लिए गतिविधियों के आयोजन, स्थानीय प्राथमिकताओं एवं जरूरतों की पहचान कर कार्यों का विकेंद्रीकरण होगा।

उद्देश्य–

- शिक्षा विकास में समुदाय की भूमिकाओं पर समझ बनाना।
- सामाजिक कार्यों की अवधारणा समझना।
- समुदाय एवं शिक्षा कार्यक्रमों के सहसंबंध की पहचान करना।

विधा	समय	समग्री
वार्म अप (खेल) प्रस्तुतीकरण	40 मिनट	• फ्लिप चार्ट, बोर्ड, तीन छोटे कार्ड (जिन पर रोल प्ले की स्थितियां लिखी हुई हो) • गुब्बारें प्रतिभागियों की संख्यानुसार

गतिविधि–1 गुब्बारा खेल

चरण 1 –प्रतिभागियों को खेल से परिचित करायें एवं एक–एक गुब्बारा वितरित करें।

चरण 2 –प्रतिभागियों को इसे फुलाने के लिए कहें।

चरण 3–गुब्बारे फुलाने के बाद प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कक्ष के बीच में बुलायें एवं उन्हें उत्साहित करते हुए कहें कि गुब्बारे को ऊपर उछाले एवं गिरने नहीं दें। इसके लिए दो मिनट का समय दें। नीचे गिरे हुए गुब्बारे को नहीं उठाने के लिए कहें।

चरण 4 –एक प्रतिभागी को सभी के हाथों में शेष रहे गुब्बारों को गिनने के लिए कहें।

चरण 5 –अब पुनः प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कक्ष के बीच में बुलायें एवं उन्हें उत्साहित करते हुए गुब्बारे उछालने के लिए कहें। प्रतिभागियों से कहें कि अपने सहित सभी गुब्बारों को नीचे गिरने से बचायें। इसके लिए दो मिनट का समय दें। नीचे गिरे हुए गुब्बारे को नहीं उठाने के लिए कहें।

चरण 6 –अन्त में हाथों में शेष रहे गुब्बारों की गिनती बतायें।

चरण 7 –निम्न प्रश्नों के आधार पर चर्चा करें :–

- कितने गुब्बारे फुलाते हुए फूटे? क्या एक से ज्यादा बार किसी प्रतिभागी का गुब्बारा फूटा ?
- गुब्बारों के सन्दर्भ में सबका का क्या व्यवहार था ?
- दूसरी बार में ज्यादा गुब्बारे नीचे क्यों गिरे ?
- यदि एक बार और यह सामूहिक खेल खेला जाये तो स्थितियों में परिवर्तन होगा ?

प्रशिक्षक के लिए निर्देष –

प्रतिभागियों को गुब्बारे देते ही उनके व्यवहारों का अवलोकन करें जैसे – गुब्बारे को कितना सहेज कर रख रहे थे, कितने आकार तक फुला रहे थे, कितना ध्यान रख रहे थे, आदि। यह व्यवहार प्रतिभागियों के मनोभावों को समझने में मददगार होते है। इनको आधार बनाकर प्रतिभागियों के विद्यालय और समुदाय के प्रति नजरिये को जोड़कर उस पर चर्चा करें। जानकारी देते समय केवल वार्ता ही नहीं करें, अपितु प्रतिभागियों से संवाद स्थापित कर विषय के बारे में समझ बनाने का प्रयास करें।

चरण–8 खेल 1 एवं 2 का विष्लेषण करने के लिए कार्ड शीट पर दो कॉलम बनायें। पहले कॉलम में 'जीते क्यों' ? एवं दूसरे में अधिक लोग 'हारे क्यों'? पर चर्चा करें।

प्रशिक्षक के लिए निर्देष–

आमतौर पर पहले खेल में गुब्बारे कम गिरते हैं तथा दूसरे में अधिक। इसके कारणों का विष्लेषण निम्नानुसार कर सकते हैं–

खेल 1	**खेल 2**
स्वयं का था।	सभी के बीच जिम्मेदारी विभक्त थी।
सावधानी से उछाला।	अपना नहीं था तथा जोर–जोर से उछाले।
जिम्मेदारी का भाव था।	जीतने का भाव कम था। कौन जीतेगा स्पष्टता नहीं थी।
जीतने की इच्छा थी	खेल में अपेक्षाकृत् एकाग्रता कम थी।
नेतृत्व स्वयं पर ही था।	नेतृत्व नहीं था।
	सामूहिकता की भावना नहीं थी

समुदाय सहभागिता आधारित व्यवस्था से षिक्षा

विद्यालय तथा षिक्षा में समुदाय की सहभागिता सुनिष्चित किये बिना अच्छी षिक्षा का विचार अधूरा सा लगता है। एक विद्यालय को आदर्शविद्यालय के रूप में विकसित होने के लिए समुदाय तथा

विद्यालय से जुड़े सभी घटकों की सक्रिय भागीदारी आवष्यक षर्त है। इस भागीदारी को सुनिष्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःषुल्क षिक्षा अधिकार के बाद षाला प्रबन्ध समितियों की भूमिकाएं अति महत्त्वपूर्ण हो गयी है। जो कि षिक्षा विकास के लिए सषक्त रूप से कार्य कर रही है।

यह समुदाय की सहभागिता आधारित प्रक्रिया, ''निःषुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक षिक्षा अधिकार'' पर आधारित है, जिसमें सभी बच्चों के प्राथमिक षिक्षा अधिकार को सुनिष्चित किया जा सकेगा। समुदाय आधारित षिक्षा व्यवस्था में देखने की जरूरत है कि–

- प्रभावी सामुदायिक सहभागिता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी हितवाहक गम्भीरता से जुटे तथा संस्था एवं समुदाय के लोगों की गहन समझ हो।
- प्रभावी षिक्षा प्रणाली सिर्फ राजकीय स्तर पर नहीं चलायी जा सकती, इसमें जन भागीदारी प्रत्येक स्तर पर आवष्यक है।
- एक अच्छा समुदाय सहभागी षिक्षण जिसमें मूल्यांकन एवं नियोजन शामिल है, में निर्णय सभी की भागीदारी से होता है।

सत्र–5 विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, प्रक्रिया व कार्य

परिचय :– विद्यालय तथा षिक्षा में समुदाय की सहभागिता सुनिष्चित किये बिना अच्छी षिक्षा का विचार अधूरा सा लगता है। एक स्कूल को अच्छे स्कूल के रूप में विकसित होने के लिए समुदाय तथा विद्यालय से जुड़े सभी घटकों की सक्रिय भागीदारी आवष्यक षर्त है। इस भागीदारी को सुनिष्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःषुल्क षिक्षा अधिकार के बाद षाला प्रबन्ध समितियों की भूमिकाएं अति महत्त्वपूर्ण हो गयी है। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालयों के विकास एवं गुणात्मक षिक्षा तथा इसे सुनिष्चित करने में अभिभावकों की भागीदारी हेतु किए गए प्रावधानों को समझना आवष्यक है।

उद्देष्य :

- विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) की जरूरत को समझना।
- एसएमसी के गठन एवं प्रक्रिया को समझना।
- विद्यालय प्रबंधन में एसएमसी की भूमिका तथा उसके कार्यो को समझना।

विधा :	**समय :**	**सामग्री :**
वार्म अप प्रस्तुतीकरण समूह चर्चा संभाषण	40 मिनट	फ्लिप चार्ट, चार्टषीट, मार्कर पारदर्षियाँ, ओ.एच.पी., श्यामपट्ट चॉक, तीन विप कार्ड (जिन पर रोल प्ले की स्थितियाँ लिखी हुई हों।) षिक्षा अधिकार अधिनियम व एसएमसी के अध्याय एक की 10 फोटो प्रतियां समूह में काम करने के लिए।

गतिविधि–1 षिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दिए गए एसएमसी के गठन व प्रक्रिया पर चर्चा।

चरण : 1

सभी प्रतिभागियों को चार उप समूहों में बाँट दें तथा प्रत्येक समूह को आपस में चर्चा करके निम्नलिखित सवालों के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण तैयार करने को कहें–

चरण–2 निम्न विषयों का समूहों का आंवटन करें–

समूह–1 विद्यालय प्रबंधन में अभिभावकों के सहयोग की जरूरत क्यों है ? इसके लिए क्या प्रयास किये जाने चाहिए ?

समूह–2 विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन तथा उसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए। इसकी जरूरत क्यों है ?

समूह–3 विद्यालय प्रबंधन में एसएमसी की भूमिका तथा उसके कार्यों के बारे में बताइए ?

समूह–4 षैक्षणिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में एसएमसी किस तरह मदद कर सकती है ?

चरण–2

अब सभी प्रतिभागियों को षिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से एसएमसी के प्रावधान संबंधित परिषिष्ट पढ़ने व समझने के लिए दें। सभी संभागी इस परिषिष्ट को पढ़कर समझे तथा अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। प्रषिक्षक प्रतिभागियों के लिए एसएमसी से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करने में मदद करें।

तत्पष्चात् बारी बारी से सभी समूहों से बड़े समूह में प्रस्तुतीकरण करने को कहें। इस दौरान प्रषिक्षक मुख्य बिन्दुओं को नोट करें तथा उन पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा करके समझ बनाने का प्रयास करें।

पूर्व तैयारी : प्रषिक्षक षिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दिए गए एसएमसी के गठन व प्रक्रिया संबंधित प्रावधानों को ठीक से पढ़कर समझ लें।

चर्चा के बिन्दु :

चर्चा द्वारा एसएमसी की आवष्यकता को समझना।

एसएमसी के गठन तथा प्रक्रिया पर चर्चा द्वारा समझ बनाना।

चर्चा द्वारा एसएमसी की भूमिका तथा कार्यों को समझना।

प्रशिक्षक के लिए निर्देष–

कार्यषाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा विद्यालय प्रबंध को लेकर कई तरह की व्यावहारिक समस्याएं सामने आयेंगी, ऐसी स्थिति में उनकी समझ बनाने के लिए निम्नलिखित केस स्टडीज को काम में लिया जाना उचित होगा। ये कार्य तीन–चार लोगों का समूह बनाकर या खुली चर्चा करते हुए किया जा सकता है।

परिषिष्ट–4

विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी)–

- निःषुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की **धारा–21** एवं राज्य नियम–2011 के **नियम 3 एवं 4** के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) का गठन किया गया है।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के दो भाग होते हैं, **साधारण सभा** और कार्यकारिणी समिति।
- **साधारण सभा** में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता–पिता/संरक्षक, समस्त अध्यापक, सम्बन्धित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित/मनोनीत शेष सदस्य होते हैं।
- प्रषिक्षकप्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि साधारण सभा के सभी सदस्य अर्थात् प्रत्येक बालक के माता–पिता एवं उस परिक्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि एसएमसी के सदस्य हैं। उन्हें एसएमसी के समस्त दायित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं।
- समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होती है। जिसके निम्न पदाधिकारी होते हैं :–

क्र.सं.	पद	चयन प्रक्रिया
1	अध्यक्ष	समिति की साधारण सभा द्वारा माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
2	उपाध्यक्ष	समिति की साधारण सभा द्वारा माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।
3	सदस्य (11)	साधारण सभा द्वारा माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य, जिनमें से कम से कम 6 महिलाएँ, 1 अनु. जाति व 1 अनु. जनजाति से संबंधित हो।
4	पदेन सदस्य (1)	ग्राम पंचायत/नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, उस वार्ड का वार्ड पंच/पार्षद।
5	पदेन सदस्य सचिव (1)	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक/प्रबोधक।
6	निर्वाचित अध्यापक	विद्यालय के अध्यापकों द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक/प्रबोधक (यदि उपलब्ध हो) अन्यथा पुरूष अध्यापक/प्रबोधक।
7	मनोनीत सदस्य(2)	विद्यालय परिक्षेत्र के विधान सभा सदस्य द्वारा नामित ऐसे दो व्यक्ति (जिसमें कम से कम एक महिला हो तथा एक माता–पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो) जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु उस राजस्व ग्राम/शहरी क्षेत्र हेतु उस वार्ड का निवासी हो जिसमें विद्यालय स्थित है अथवा समिति के माता–पिता या संरक्षक सदस्यों द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक। मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता विधानसभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों को दी जावे, लेकिन मनोनयन से पूर्व विधान सभा सदस्य द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित में स्वीकृति ली जानी आवश्यक होगी। मनोनयन में द्वितीय प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दी जाए।
	कुल सदस्य	**16**

सदस्यता की समाप्ति–

साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्न स्थितियों में स्वतः ही समाप्त हो जायेगी :–

- यदि सदस्य समिति की तीन क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे।
- समिति के अन्तर्गत आने वाले किसी मुद्दे से सम्बन्धित भ्रष्टाचार में लिप्त हो।
- किसी भी कारणवश सदस्य की संतान उस विद्यालय का विद्यार्थी ना रहे।
- कानून द्वारा दोषी ठहराया गया है।

रिक्त पदों को भरना–

- यदि किसी सदस्य का कार्यकाल उसके द्वारा धारित पद रिक्त होने के कारण समाप्त हो जावे तो रिक्त होने वाले पद को समिति द्वारा उप नियमों का पालन करते हुए भरा जायेगा।
- सदस्यता समापन के कारण रिक्त हुए पद पर निर्वाचित/मनोनीत सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के बचे हुए कार्यकाल जितना ही होगा तथा निर्वाचन/मनोनयन उस वर्ग से ही किया जायेगा जिस वर्ग का पद रिक्त हुआ हो।

कार्यकारिणी समिति–

कार्यकारिणी समिति में माता–पिता या संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक माह कार्यकारिणी समिति की एक बार बैठक बुलाना आवश्यक है।

;पपपद्ध विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) :–

कार्यकारिणी / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठनः–

क्र.सं.	नाम	पद
1	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	पदेन अध्यक्ष
2	अभिभावकों में से एससी/एसटी के प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–2
3	अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–2
4	अभिभावकों में से अन्य प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–2
5	सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–1
6	विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–1
7	गणित का अध्यापक प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–1
8	पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सदस्य	कार्यकारिणी सदस्य–2
9	ऑडिट व वित्त विभाग का एक व्यक्ति (संस्था का लेखा कार्मिक/बी.ई.ई.ओ/डीपीसी कार्यालय के लेखाकार/क0 लेखाकार)	कार्यकारिणी सदस्य–1
10	शैक्षिक रूप से पिछडे अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–1
11	महिला समूहों में से प्रतिनिधि सदस्य	कार्यकारिणी सदस्य–1
12	ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य/शिक्षाविद्	कार्यकारिणी सदस्य–1
13	विज्ञान, मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले (जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–1
14	जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी	कार्यकारिणी सदस्य–1
15	विद्यार्थी प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–2
16	विधायक प्रतिनिधि	कार्यकारिणी सदस्य–2
17	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक (हेड टीचर) (वरिष्ठतम व्याख्याता–उमावि में/वरिष्ठतम अध्यापक–मावि में)	पदेन सदस्य सचिव
	कुल	**23**

;पअद्ध एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किये जाने वाले कार्य : –

नोट :–एसएमसी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन करें। यदि किसी बिन्दु के बारे में कोई विसंगति सामने आती है, तो इस सम्बन्ध में एसएमसी/एसडीएमसी के गठन हेतु राज्य सरकार के दिशा निर्देश मान्य होंगे।

- अध्यापकों एवं बालकों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं बालक की शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति की जानकारी हेतु बैठकें करना।
- विद्यालय में दोपहर के भोजन/मिड–डे–मील तथा अन्नपूर्णा दूध की गुणवत्ता एवं स्वच्छता, सम्मानजनक एवं समतायुक्त वितरण का ध्यान रखना।
- विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों ;ब्वैब्द्ध की पहचान करना व आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश कराकर विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- बालिकाओं के लिए आवश्यक सुविधाएँ जैसे शौचालय स्वच्छता आदि सुनिश्चित करना तथा ड्रॉप आउट और अनामांकित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ते हुए ऐसा वातावरण निर्माण करना जहाँ सभी बालिकाएँ सुरक्षित महसूस कर सकें।
- विद्यालय में खेल मैदान, बाउण्ड्रीवॉल, कक्षा–कक्ष, सुविधाएँ, फर्नीचर एवं पेयजल आदि की व्यवस्था करना।
- समय–समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करवाना।
- विद्यालय के विकास हेतु विकास योजना तैयार करना और उसकी क्रियान्विति के लिए प्रयास करना।

एसएमसी के दायित्व	एसडीएमसी के दायित्व
• समुदाय को बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय, माता–पिता, अभिभावक एवं संरक्षक के कर्त्तव्यों की जानकारी देना। • 6–14 आयु वर्ग के सभी बालकों का विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति सुनिश्चित करना। • साधारण सभा की वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक तीन बैठकें अर्थात्	• विद्यालय की विकास योजना प्रतिवर्ष 31जुलाई से पूर्व तैयार करना। • समग्र शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्त करनाः– 1. विद्यालय की नामांकन दर आदर्श नामांकन संख्या तक लाना। 2. माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट दर 2.5 प्रतिशत से नीचे लाना। 3. विद्यार्थी के संर्वागीण विकास के लिये भौतिक एवं मानवीय, संसाधन उपलब्ध कराना जिससे कि

तीन माह में एक बैठक का अनिवार्य रूप से आयोजन करना एवं कार्यवृत्त संधारित करना। • विद्यालय की आय एवं व्यय का नियमित लेखा–जोखा रखना एवं अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से नियमानुसार उपयोग करना। • विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में प्रत्येक खर्च एवं आय के बारे में विचार विमर्श कर आय व व्यय का अनुमोदन किया जाना। • विद्यालय को प्राप्त होने वाली सहायता एवं अनुदानों की जानकारी रखना तथा राज्य सरकार/समग्र शिक्षा एवं अन्य प्राधिकृत् संस्थाओं द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उनका उपयोग सुनिश्चित करना। • एसएमसी के अध्यक्ष द्वारा आय–व्यय पर नियंत्रण रखना तथा सचिव के माध्यम से लेखे संधारित करवाना। • विद्यालय के आय एवं व्यय का नियमित वार्षिक लेखा तैयार करना। • समिति द्वारा अन्य वे कार्य भी किए जाऐंगे जो कार्य योजना में तय होंगे।	विद्यार्थी एवं विद्यालय का शैक्षिक एवं सहशैक्षिक विकास सुनिश्चित किया जा सके तथा विद्यालय का समाज के साथ सह–सम्बन्ध स्थापित हो सके। • अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में तैयार की गई विद्यालय योजना को शालादर्पण में आवश्यक रूप से अपलोड करवाएँ तथा उसकी एक प्रति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएँ। • प्रत्येक तीन माह में विद्यालय योजना की प्रगति शालादर्पण पर अपलोड करवाकर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना। **बी)–वित्तीय प्रबंधनः–** समिति द्वारा समग्र शिक्षाके खाते में प्राप्त राशि का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। • समिति अपने कोष का उपयोग नियमानुसार रैकरिंग एवं नॉन रैकंरिंग मदों में कर सकेगी। • समिति केन्द्र/राज्य सरकार के वित्तीय प्रावधानों के अनुसार व्यय कर सकेगी। • बैंक खाते से लेन–देन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से बैंक खाते से लेन–देन नहीं किया जाएगा। • समिति की प्रत्येक बैठक में नियमित रूप से वित्तीय लेखों का अनुमोदन किया जाएगा।

- प्रत्येक माह कार्यकारिणी की बैठक (अमावस्या के दिन) आयोजित की जायेगी जिसका कोरम न्यूनतम 50 प्रतिशत कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति से ही पूर्ण होगा।

बैठकों का आयोजन :–

- समिति की कार्यकारिणी की बैठक हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व लिखित ;ज्मगजद्ध एवं वॉइस मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा।

- समिति की सभी गतिविधियों की प्रगति की सूचना प्रत्येक तीन माह में शालादर्पण/शालादर्शन पर अपलोड़ की जायेगी
- एसएमसी/एसडीएमसी की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण संधारण निम्न प्रारूप में किया जाएगा :–

बैठक की दिनांक	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	बैठक में लिये गए प्रस्ताव	प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों की संख्या	प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों में महिलाओं की संख्या

प्रेरक की विद्यालय प्रबंधन समिति के सन्दर्भ में जिम्मेदारियाँ–

1. ग्रामीण रूपरेखा तैयार करना। समितियों के सषक्तिकरण की दिषा में कार्य करते हुए उनकी समझ एवं कार्य प्रणाली सिखाने के लिए प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति को दो दिवसीय प्रषिक्षणों में मदद करना।
2. पाठषाला में कभी न गयी अथवा निकाली गयी लड़कियों के आँकड़े जुटाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की मदद करना।
3. नामांकित लड़कियों की पाठषाला में उपस्थिति का आकलन करने में मदद करना।
4. ग्राम षिक्षा सभा और मोहल्ला बैठकों का आयोजन करना।विद्यालय प्रबंधन समिति की सभाओं की व्यवस्था करना तथा उसमें सम्मिलित होना। कार्य योजनाओं को तैयार करना और पंचायत सभा में भाग लेना।
5. विद्यालय की कार्य योजनाओं जैसे बाल सभा, सृजनात्मक पढ़ाने के तरीकों की गतिविधियाँ और षिक्षकों का प्रषिक्षण आदि की जानकारियां विद्यालय प्रबंधन समिति को देना।
6. विद्यालय प्रबंधन समिति की मदद से स्थानीय संसाधनों को पहचानना तथा भामाषाहों और स्थानीय मदद देने वालों के माध्यम से उसकी व्यवस्था करना।

प्रेरकों की अन्य जिम्मेदारियाँ–

षिक्षा गतिविधियों के आयोजन में भूमिकाएँ :

षिक्षा विकास एवं प्रोत्साहन के इस कार्यक्रम में प्रेरक सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल समुदाय एवं विद्यालय का सेतु है बल्कि कार्यक्रम की सभी गतिविधियों का मुख्य सूत्र भी है। प्रेरक नामांकित बालक बालिकाओं के ठहराव, विद्यालयों में सकारात्मक एवं उचित वातावरण तैयार करना है ताकि छात्र एक दूसरे की मदद कर सके और षिक्षा का आनंद ले सके।

सत्र–6 बालिका शिक्षा में प्रेरकों की भूमिका

परिचय–शिक्षा का अधिकार : वर्ष 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। उसके फलस्वरूप सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए गए , जैसे समग्र शिक्षा अभियान, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान', विषेषकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के किए कई योजनाओ को लागू किया गया । नतीजन पिछले वर्षों में राजस्थान में बालिका शिक्षा के आंकड़ों में सुधार हुआ है। बालिकाएँ आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है । फिर भी अनेक मामलों में लड़कियां 5 वीं अथवा 8वीं कक्षा तक विद्यालय जाती हैं, लेकिन उसके बाद वे विद्यालय छोड़ना शुरू कर देती हैं, या उनकी उपस्थिति अनियमित हो जाती है।

इसके कई कारण है, जिनको समझना जरूरी है। बलिकाएँ अपनी शिक्षा पूरी कर पाए इसके लिए सतत् प्रयास भी आवश्यक है । माता–पिता व समाज के नेतृत्वकर्त्ता को बालिका शिक्षा के महत्त्व से अवगत करना, उनमें जागृति लाने के महत्त्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी एक प्रेरक बखूबी निभा सकते हैं।

उद्देश्य–

- घर, विद्यालय और समाज स्तर पर बालिका शिक्षा में आने वाली वर्तमान चुनौतियों को समझना।
- बालिका शिक्षा के महत्त्व, विद्यमान चुनौतियों के संभावित समाधानों व इसमें प्रेरकों की भूमिका पर समझ विकसित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं/प्रोत्साहनों के बारे में प्रेरकों को जानकारी प्रदान करना।
- प्रेरकों को बालिकाओं की शिक्षा के महत्त्व के बारे में समुदायों में जागरूकता पैदा करने में सक्षम बनाना।

विधा :	**समय :**	**सामग्री :**
चर्चा। समूह कार्य। संभाषण या व्याख्यान।	40 मिनट	फ्लिपचार्ट/चार्ट पेपर/ब्लैकबोर्ड/व्हाइटबोर्ड/मार्कर/चॉक/प्रोजेक्टर।

<u>सत्र पूर्व तैयारियां –</u>

- प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्र आयोजित करने के लिए कमरा/जगह और स्थान समूह के लिए अनुकूल/सहयोगी है।
- अपने समूह यानी उसकी संरचना (पुरुष, महिला, बच्चे, पंचायती राज संस्थाएं, सरकारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता आदि) को जानें।
- सुनिश्चित करें कि सत्र आयोजित करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध है और एक ही स्थान पर एकत्रित है।

- संदर्भ सामग्री को पहले पढ़ लें और सत्र के दौरान यदि आवश्यकता हो तो इसे अपनी पहुंच में रखें।
- पूरे सत्र के दौरान सीखने/समर्थन करने वाला वातावरण बनाएं रखें।
- दिया जाने वाला संदेश स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए।

गतिविधि–1 बालिका शिक्षा के लिए चुनौतियाँ

चरण–एक सत्र का पहला भाग बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं की पहचान करने पर केंद्रित होगा। सत्र की शुरुआत संभागियों को निम्नलिखित विड़ियो दिखा कर करें। यह छोटा सा विड़ियो बालिका शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संदर्भ देता है।
ीजजचेरूध्ध्ूलवनजनइमण्बवउध्ूंजबीध्अत्र0दॅ्ष्ज्ञअब्छज्ब -छंदीम ंसप ंदक छमेजसम प्दकपंए म्कनबंजम जीमळपतसे बिपसक

चरण– दो

प्रशिक्षक प्रतिभगियों को दो से पाँच समूहों में विभाजित कर सकते हैं, उनके साथ फ्लिप चार्ट और मार्कर साझा कर सकते हैं ताकि वे अपने विचार खुद लिख सकें। उनसे यह भी अनुरोध करें कि वे एक ऐसे नेता को चुन लें जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करेगा। चर्चा के लिए 15 मिनट का समय आवंटित करें।

- प्रशिक्षक फिर प्रत्येक समूह के पास जाकर प्रश्न दोहरा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनके कोई प्रश्न हैं, यदि उन्हें और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं।
- इसके बाद समूह बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने, अनियमित होने, उच्च अध्ययन के लिए न जाने या विद्यालयमें नामांकित न होने के कारणों पर चर्चा करेंगे।
- यह देखने के लिए कि चर्चा सही दिशा में जा रही है, फैसिलिटेटर/प्रशिक्षक प्रत्येक समूह के पास जाएं।
- एक बार समूह चर्चा समाप्त हो जाने के बाद प्रशिक्षक प्रत्येक समूह के नेताओं से उनकी चर्चा के दौरान सामने आए बिंदुओं को प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।
- प्रशिक्षक बोर्ड पर सदस्यों की प्रतिक्रियाओं को नीचे दिए गए विभिन्न शीर्षकों के तहत वर्गीकृत् करें (संदर्भ नोट भी देखें)।

    - सामाजिक मानदंड– पुरुष वरीयता, बालिकाओं का कम मूल्य, घरेलू काम का बोझ, श्रम, मजबूरन प्रवासन, माता–पिता या बालिकाओं में रुचि की कमी।
    - बाल विवाह।
    - बालिकाओं और अन्य लिंगों की सैफ्टी और सुरक्षा, हिंसा की घटनाएँ।
    - असुरक्षित मार्ग, उचित परिवहन की कमी, घर या विद्यालय में लिंग आधारित हिंसा।

- ➢ विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं संबंधित मुद्दे– गैर–कार्यात्मक शौचालय, मासिक धर्म के दौरान बदलने की सुविधा का अभाव आदि।
- ➢ विद्यालय में सहयोगात्मक वातावरण का अभाव।

चरण–तीन : प्रतिक्रियाओं को सूचीबद्ध करने के बाद, प्रशिक्षक प्रत्येक कारण के बारे में विस्तार से बता सकते हैं और साक्षरता दर, नामांकन की स्थिति, स्कूल छोड़ने की स्थिति, बाल लिंग अनुपात जैसे डाटा आदि के सहयोग से जहां भी संभव हो व्याख्या कर सकतेहैं। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रशिक्षक सत्र के पहले संलग्नसंदर्भ/पठन सामग्रीका अध्ययन करें।

गतिविधि–2 बालिका षिक्षा का महत्व

प्रशिक्षक बालिका शिक्षा के महत्त्व पर बड़े समूह मैं चर्चा कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत नीचे दिए गए लिंक से दोनों विड़ियो दिखाकर करे ।

1ण म्कनबंजपदह ळपतस बीपसकरू ॅवउंद मउचवूमतउमदजरू ळपतसे म्कनबंजपवदरू डीपदकतं त्पेम . बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ<u>ीजजचेरूध्ध्ूूूण्लवनजनइमण्बवउध्ूंजबीघ्अत्रचव्ठ08नफ्र्प्-</u>।

2ण <u>ीजजचेरूध्ध्ूूूण्लवनजनइमण्बवउध्ूंजबीघ्अत्रक्4डिब्त ।गन0</u>

विडिओ देखने के बाद प्रतिभागियों से पूछे की उन्हें क्या लगता है, बालिकाओं के लिए पढ़ाई क्यूँ जरूरी है ? उनके जीवन में उसका क्या महत्त्व है ? संभागियों के जवाब बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर पर लिख लेवें, चर्चा को समेकित करते हुए इस बात पर अवश्य बल देवें की शिक्षा पाने से बलिकाएँ अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगी, स्वावलम्बी होंगी, व परिवार व समाज के विकास में अपनी भागीदारी मजबूती से निभा पायेंगी ।

गतिविधि–3 बालिका षिक्षा हेतु विविध षिक्षा कार्यक्रम

अगले कदम के रूप में फैसिलिटेटर/प्रशिक्षक बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं पर संदर्भ सामग्री का उपयोग करते हुए सदस्यों से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन योजनाओं को साझा करने के लिए कहेंगे जिनके बारे में वे जानते हैं।

प्रशिक्षकप्रत्येक योजना का विवरण सदस्यों के साथ साझा करें और उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में आने वाली समस्याओं या किसी भी अन्य मुद्दे के बारे में प्रश्न पूछने का अवसर दें। योजना के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैंः–

- ➢ परिवहन वाउचर योजना
- ➢ गार्गी पुरस्कार
- ➢ साइकिल वितरण योजना
- ➢ मुफ्त लैपटॉप योजना
- ➢ आर्थिक सबलता पुरस्कार

गतिविधि–4 : बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में प्रेरकों की भूमिका

फेसिलिटेटर/प्रशिक्षक इन चुनौतियों (संलग्न संदर्भ दस्तावेज देखें) और अन्य हितधारकों की समस्याओं के समाधान में प्रेरकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करेंगे।

• सत्र के दूसरे भाग में पहले सूचीबद्ध की गयी चुनौतियों का जिक्र करते हुए फैसिलिटेटर/प्रशिक्षक सदस्यों को संभावित समाधान सुझाने और उन्हें चार्ट या बोर्ड पर सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे।

• समूह इन समाधानों पर चर्चा कर सकता है और प्रत्येक के सामने उल्लेख कर सकता है कि इन परिवर्तनों को कैसे लाया जा सकता है और प्रेरकके विभिन्न सदस्य इन चुनौतियों का समाधान करने में कैसे भूमिका निभा सकते हैं, उदाहरण के लिए:–

- **स्कूल छोड़ने वाली बालिकाएं**– प्रेरक विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं की मैपिंग गाँव/मोहल्ले के बच्चों/एसएमसी/एसडीएमसी के सदस्यों/सरपंच/वार्ड पंच की मदद से कर सकते हैं।माता–पिता को बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए चौपाल का आयोजन कर सकते हैं, शिक्षा जारी रखने के लिए माता–पिता और बालिकाओं को घर–घर जाकर सलाह दे सकते हैं।
- **छात्राओं की सुरक्षा –** विद्यालय के अधिकारियों के साथ प्रेरक विद्यालय की सुरक्षा ऑडिट करने में मदद कर सकते हैं और निष्कर्षों के आधार पर सुधार की योजना बनाने में भी सहयोग दे सकते हैं। इसी प्रकार, स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से दूरस्थ स्थानों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था परएसएमसी/एसडीएमसी सदस्य के साथ कार्य कर सकते हैं।
- **स्वच्छ भारत विद्यालय** मूल्यांकन प्रारूप के उपयोग के माध्यम से विद्यालय के बुनियादी ढांचे का आंकलन करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य को प्रेरित करसकते हैं। विशेष रूप से शौचालय/पीने के पानी/हाथ धोने की सुविधा/बर्तन धोने की सुविधा आदि और निष्कर्षों के आधार पर स्थानीय भामाशाहों, पंचायत निधि से वित्तीय सहायता की कोशिश कर सकते हैं, इससे विद्यालयों में बालिकाओं के लिए सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- गार्गी मंच और राजू मीना मंच के माध्यम से प्रेरक, छात्र व छात्राओंमें बालिकाओं की शिक्षा के महत्त्व व सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं/योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं।

गतिविधि– 5 अभिभावकों द्वारा बालिका षिक्षा के महत्त्व को समझना।

फैसिलिटेटर/प्रशिक्षक संभागियों को पाँच–पाँच के समूह में बाटे व प्रत्येक समूह को 1) माता /पिता 2), एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य आदि को बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में कैसे

समझाएँ इस पर रोल प्ले करने को कहे। उन्हेंतैयारी करने का समय दें व उसके बाद उन्हें प्रस्तुत करने को कहे। प्रत्येक समूह के प्रस्तुतीकरण को सभी ध्यानपूर्वक देखे व उनका तालियों के साथ अभिवादन करें।

सारांश

बालिकाओं की शिक्षा में कई बाधाएं हैं जो उनके विकास और बेहतर जीवन जीने की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। यह माता–पिता, समुदाय, शिक्षकों, सरकारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं, सरकारी अधिकारियों सहित समाज की जिम्मेदारी है कि वे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और घर पर, समुदाय में और विद्यालय स्तर पर एक समर्थनकारी वातावरण बनाने में मदद करें।ताकि बालिकाएं अपने सपने साकार कर सकें; वे ज्ञान, कौशल हासिल करने में, निर्णय लेने में सक्षम हों और जीवन में आगे बढ़ें।

सत्र– 7 प्रभावी संवाद एवं सम्प्रेषण कौषल

परिचय :

प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं जिनको वह दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है। विचारों और तथ्यों और संदेषों का सही ढंग से आदान–प्रदान सम्प्रेषण कहलाता है। वॉलिंटियर्स से यह अपेक्षा है कि वह सही सम्प्रेषण करते हुए बच्चों, उनके अभिभावकों एवं षिक्षकों से बात कर सकें। अतः यह आवष्यक है कि वॉलिंटियर्स बात या विचार को जिस अर्थ में प्रकट कर रहा है,सुनने वाला भी उसी अर्थ में उस बात को समझे। यह निरन्तर सीखने की प्रकिया के द्वारा ही परिष्कृत् किया जा सकता है। वॉलिंटियर्स से यह अपेक्षा है कि वे प्रभावी सम्प्रेषण द्वारा विद्यार्थियों में अपनी समस्याओं के स्वयं के स्तर पर समाधान ढूंढने की योग्यता विकसित करने में मददगार बन सकें।

उद्देश्य

- समुदाय, बच्चों के साथ प्रभावी संवाद की दक्षताओं को समझना।
- सम्प्रेषण कौशल की अवधारणा को समझना।
- परामर्श प्रक्रिया के क्रियान्वयन में सक्षम होना।
- साक्षरों के सन्दर्भ में सम्प्रेषणकौशल के गुरूत्तर महत्व को जानना।

विधा	समय	समग्री
▪ वार्मअप ▪ स्थिति प्रदर्शन	30 मिनट	▪ फ्लिप चार्ट, बोल्ड मार्कर्स, पांच बड़ी कार्ड शीट्स, काउन्सलिंग की परिभाषा का चार्ट, ▪ संभागियों की संख्यानुसार परिशिष्ट की प्रतियां

गतिविधि– 1 कहानी

चरण–1 निम्नलिखित एक लघु कथा वॉलिंटियर्स को सुनाये।

- चरण– कहानी पर चर्चा करें एवं वॉलिंटियर्स से प्रष्न करें–
  1. कहानी से हमें क्या सीख मिली ?
  2. हम अपने विचार एवं भावनाएँ कैसे व्यक्त करते हैं ?
  3. अपनी बात को विवेकपूर्ण एवं दृढ़तापूर्वक तरीके से कैसे कहा जा सकता है?

कहानी

एक बादशाह ने स्वप्न में एक ऐसा वृक्ष देखा जिसकी सभी पत्तियां झड़ गयी थी, केवल एक पत्ती बची हुई थी। बादशाह ने प्रातः राज ज्योतिषी से स्वप्न का अर्थ पूछा तो ज्योतिषी बोला–''जहाँपनाह स्वप्न का अर्थ है कि आपके ही सामने आपके सारे सदस्य मर जायेंगें।''

बादशाह ने क्रोधित होकर ज्योतिषी को मृत्यु दण्ड देने का आदेश दे दिया।

बादशाह ने दूसरे ज्योतिषी से इस स्वप्न का अर्थ पूछा तो उसने जवाब दिया–''जहाँपनाह इस स्वप्न का अर्थ है कि आपके परिवार में सबसे अधिक आयु आपको प्राप्त होगी।'' बादशाह ने प्रसन्न होकर उसे इनाम देना चाहा तो ज्योतिषी बोला ''यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इस ज्योतिषी की सजा माफ कर दें क्योंकि यह निर्दोष है। हम दोनों ने स्वप्न का फल एक ही बताया है, केवल शब्दों का हेरफेर है। अब राजा समझ चुका था। उसने उस ज्योतिषी को छोड़ दिया एवं शान्तचित्त सोचकर बोला कि सब विद्वज्जन कृपया मुझे बतायें कि मैं विवेक से कैसे काम करूं कि भविष्य में मुझे संभावित जन हानि का सामना न करना पड़े।

गतिविधि–2 प्रभावी संवाद

चरण–1 प्रषिक्षक निम्नलिखित वाक्यों/कथनों को पढ़ें और प्रतिभागियों को इन कथनों एवं इनसे संबधित प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें। उन्हें अपनी समझ के अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए कहें और कमरे के तीनों में से एक कोने में जाकर खड़े होने को प्रेरित करें।

चरण–2 प्रतिभागियों के साथ परिषिष्ट में लिखें प्रत्येक कथन पर चर्चा करें।

चरण–3 प्राप्त उत्तरों को फ्लिप चार्ट्स पर अंकित करें।

प्रषिक्षक के लिए निर्देष–

(प्रषिक्षक पहले से ही तीनों विकल्प–मुखर, निष्क्रिय व आक्रामक–को कागज पर लिखकर कमरे के तीनों कोनों में दीवार पर चिपकाकर रखें और गतिविधि खत्म होने के बाद निकाल लेवें)

परिषिष्ठ–5

छोटी कार्ड षीट्स पर लिखे।

कथन	प्रतिक्रिया	मुखर	निष्क्रिय	आक्रामक
एक लड़की परेशान है क्योंकि उसके माता –पिता उसकी पढ़ाई छुडवाकर उसे मजदूरी पर भेजना	''आप स्थिति को अच्छी तरह से समझते है इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ आपने मेरे लिए जो भी फैसला किया है, वह सही है।''			
	''मुझे पता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे , आप दोनों हमेशा मुझसे बेरूखी से बात करते हैं।''			

चाहते हैं ।	''मैं आप दोनों से बात करना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ कि आप इस तरह का निर्णय क्यों लेना चाहते हैं।मैं आगे अपनी शिक्षा जारी रखने का तरीका खोजना चाहती हूँ ।''			
एक लड़का परेशान है क्योंकि उसके दोस्त अक्सर उसका दोस्तों के समूह में उसके छोटे कद होने का मजाक उड़ाते हैं । ऐसे में वह कहता है–	'' मैं यहाँ से जा रहा हूँ ।''			
	''जब तुम सभी मेरा मजाक उड़ाते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता हैं। हमारी दोस्ती बनी रहे इसलिए आगे से आप ऐसा नहीं करें ।''			
	''मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम सब मुझे अपमानित करते हो। मैं आप सभी की शिकायत प्रिंसिपल सर से करने जा रहा हूँ ।''			
एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपने साथ सिगरेट पीने को कहता है,लेकिन वह नहीं पीना चाहता हैं, वह कहता है–	'' धन्यवाद, लेकिन मैं पीना नहीं चाहता, माफ करना।''			
	'' आ.....हम्म ठीक है।''			
	''मैं तुम्हारे जैसे लड़कों के साथ ये गंदे काम नहीं करूँगा और ना ही पिऊंगा।''			

हम बहुत सारी नकारात्मक बातें काम के दौरान बोलते हैं। हमें व्यवहार से सम्बन्धित निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से यथासंभव बचना चाहिए। यह सफल संवाद के मार्ग में अवरोधक होते हैं।

गतिविधि– प्रभावी संवाद के लिए अभ्यास

चरण–1 प्रतिभागियों से निम्नलिखित वाक्यों/कथनों को पढ़ने के लिए कहें और इन कथनों के बारे में सोचने के लिए कहें और उनके अनुसार सबसे उपयुक्त संवाद बनाने के लिए कहें।

चरण–2 प्रतिभागियोंके द्वारा लिखे गये संवादों पर चर्चा करें।

चरण–3 प्रषिक्षक संलग्न परिषिष्टों का अध्ययन करें एवं तदनुसार प्रेरकों के साथ बात करें।

परिषिष्ठ–6

कार्य अभ्यास षीट

वक्तव्य	**विकल्प लिखें (इसी बात को बदल कर कैसे बोले या लिखें?)**
ऐसा ही करना है।	....

ऐसा करो, वैसा मत करो।	....
यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो.....।	....
तुम्हारी असफलताओं के लिए तुम ही जिम्मेदार हो।	....
तुम से तो कुछ भी नहीं हो सकता है।	....
तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने.....।	....
देखो जीवन में कुछ करना है तो मेहनत करो।	....

प्रषिक्षक के लिए निर्देष–

अभ्यास षीट के आधार पर सही से संवाद करने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित करें।

परिषिष्ट–7

सम्प्रेषण : प्रभावी अभिव्यक्ति

प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं जिनको वह दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है। विचारों और तथ्यों का यही आदान–प्रदान सम्प्रेषण कहलाता है। सही सम्प्रेषण में यह आवष्यक है कि व्यक्ति जिस बात या विचार को जिस अर्थ में प्रकट कर रहा है सुनने वाला भी उसी अर्थ में उस बात को समझे। अच्छा और प्रभावी सम्प्रेषण सम्बन्धों को सदैव ही मजबूती प्रदान करता है और गलत सम्प्रेषण सम्बन्धों में तनाव और घुटन पैदा करता है।

सम्प्रेषण स्थापित करने के मुख्यतः तीन तरीके हो सकते हैं जैसे – शाब्दिक, अषाब्दिक और लिखित सम्प्रेषण। बोलचाल, हावभाव, शारीरिक मुद्रा व व्यवहार द्वारा व्यक्ति संवाद स्थापित कर सकता है जैसे रूठना, नहीं बोलना, खाना नहीं खाना, अनसुनी करना, रहन–सहन, पहनावा आदि। भाषा में शब्दों का चुनाव, आवाज की तीव्रता, धीमापन, चीखना, चिल्लाना, शब्दों का अलग–अलग अर्थ निकालना आदि सम्प्रेषण को निर्धारित करता है। भिन्न–भिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में अभिव्यक्ति के तरीके भी बदलते हैं।

बच्चों के साथ कार्य करते हुए ध्यान रखने योग्य बिन्दुः–

- बच्चों के साथ गलत भाषा का उपयोग ना करें। बच्चों को एकदूसरे का आदर करने के लिये प्रेरित करें।
- सभी बच्चों को उनके नाम से बुलाएँ।

- किसी भी प्रकार का जेंडर भेद ना करें और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करें।
- किसी भी प्रकार के दंड का प्रयोग ना करें।
- ऐसी भाषा,सलाह या सुझाव न दें जो बालकों के लिए हितकर ना हो ।
- बच्चों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वे कार्य नहीं करें, जिन्हें वे अपने आप कर सकते हैं ।
- बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करें जो कि उन्हें नीचा दिखाने, व्यक्तिगत सम्मान को ठेस लगने, मखौल–मजाक उड़ाने या शर्मिंदगी का एहसास दिलाता हो ।
- बच्चों को हर प्रकार की हिंसा का विरोध करना सिखायें और गलत बात पर आदर के साथ (सॉरी, प्लीज..आदि शब्दों के साथ) 'ना' कहना अवश्य सिखाएं । कोई व्यवहार असामान्य प्रतीत होने पर तुरंत उसके बारे में बच्चें व परिजनों से चर्चा करें।
- बच्चों द्वारा साझा की गई जानकारियों की गोपनीयता बनाये रखें। आवष्यक सहायता प्रदान करें जिससे बच्चें समस्या की पहचान कर सही निर्णय ले सकें।

सत्र–8 टीम एवं टीम भावना

परिचय : टीम के रूप में कार्य करना आपसी मेलजोल से कार्य करने का दृष्टिकोण है। जिसमें सभी एकजुट होकर चुनौतियों को स्वीकार कर स्वयं को एक टीम के तौर पर समाधानकर्त्ता की मुख्य भूमिकाओं में देखते हैं। टीम के साथ काम करने में मुद्दे के प्रति गहरा जुड़ाव निहित होता है। टीम भावना से काम करने के प्रति उत्साह एवं सहयोग की भावना का विकास होता हैं।प्रेरक भी अपने में इसी भावना को विकसित कर साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं।

उद्देष्य–

- शिक्षा के उन्नयन के लिए टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता एवं महत्त्व को समझना।
- टीम सफल एवं असफल क्यों होती हैं, इसको समझाना।
- टीम भावना से कार्य करने की दक्षता अर्जित करना।

विधा :	**समय :**	**सामग्री :**
प्रस्तुतीकरण एवं वार्ता	20 मिनट	टीम के प्रकार एवं सफलताओं पर लिखा हुआ एकचार्ट, प्रोजेक्टर या फ्लिप चार्ट।

गतिविधि – 1 प्रस्तुतीकरण एवं वार्ता

चरण 1 –प्रषिक्षक प्रेरकों (प्रतिभागियों) से पूछें कि उनके अनुसार टीम एवं टीम भावना क्या होती है?

संभावित उत्तर–

- एक समूह।
- मिलकर कार्य करना।
- सबका सहयोग लेना, आदि।

चरण 2 – टीम सफल एवं असफल क्यों होती है ? इस पर चर्चा करें।
चरण 3 – टीम के रूप में किये गये कार्य की सफलता की कोई कहानी हो तो साझा करें।
चरण 4 –प्रतिभागी अगर इस समय कोई बात कहना चाहें तो अवसर दें।

प्रशिक्षक के लिए निर्देष –

- बेलून गेम के विष्लेषण से इस विषय पर चर्चा को प्रारम्भ करें। एक विद्यालय स्तर पर लगभग 10 वॉलिंटियर्स होंगे, उनके लिए यह जरूरी है कि वे एक टीम के रूप में कार्य करें ।
- संलग्न परिषिष्ट का यथोचित उपयोग करें।

मिलकर एक टीम में कार्य करना (केस स्टोरी)

एक बार की बात है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसकी कक्षा के बच्चे एक दूसरे को परेशान करते थे और अलग–अलग रहते थे। बच्चों में अकेले रहने का भाव बढ़ गया था। शिक्षिका चाहती थी कि सभी बच्चे साथ रहे। इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सभी बच्चों को विद्यालय के मैदान में बुलाया।शिक्षिका ने बच्चों से कहा कि आपको यह पत्थर सामने की तरफ रखकर के आना है । जो पहले और ज्यादा काम करेगा उसे मेरी तरफ से एक इनाम मिलेगा ।

सभी बच्चे पत्थरों को उठाकर दूसरी तरफ रखने लगे। देखते ही देखते उन्होंने कुछ समय के बाद सारे पत्थर उठाकर दूसरी तरफ रख दिये। बच्चे शिक्षिका के सामने आकर खड़े हो गये और बोले कि ''देखा मेडम! यह काम तो बहुत आसान है।'' शिक्षिका ने कहा ''मुझे इस काम में एक कमी दिखी आपने इसमें बहुत समय लगाया।'' अब आपको यही काम फिर से करना है और अबकी बार समय कम लगना चाहिए। सभी बच्चे फिर से पत्थरों को उठाने लगे और फिर उसी स्थान पर रखने लगे जहाँ पहले रखे हुए थे। बच्चे अपना कार्य पूरा करने के बाद शिक्षिका के पास आ गए। मगर शिक्षिका ने कहा ''अभी कुछ कमी है आप फिर से पत्थरों को रखने का कार्य करें।'' सभी बच्चे परेशान हो गए तभी एक बच्चे के दिमाग में एक उपाय आया। उसने सभी से कहा कि अगर हम एक कतार में खड़े हो जायें और एक दूसरे को पत्थर दें तो आसानी से यह काम कर सकते हैं। यह बात सभी को पसंद आयी अबकी बार बच्चों ने ऐसा ही किया और बिना थके ही काम पूरा कर लिया। शिक्षिका यह देखकर बहुत खुश हुई। उसने सभी बच्चों से पूछा कि मिलकर कार्य करने से आपको क्या फायदा हुआ। बच्चों ने कहा ''हमें अकेले काम करने के बजाय मिलकर काम करने में आनंद आया।'' इस पर शिक्षिका ने बच्चों के बताया की एक टीम में कार्य करने से एक दूसरे को मदद मिलती हैं और काम आसान हो जाता हैं। आपको हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए।

•एक टीम सफल क्यों नहीं होती हैं ?

लक्ष्य एवं भूमिकाएँ	**परिवेश एवं आपसी रिश्ते**
● सदस्य लक्ष्य निर्धारित करने में सम्मिलित नहीं होते हैं। ● लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं ? सभी अपने निजी हित के अनुसार इनकी व्याख्या करते हैं। ● लक्ष्य बताये नहीं जाते हैं। ● व्यक्ति टीम के लक्ष्य को देखे बिना कार्य कर रहा है। ● सम्प्रेषण एक तरफा–ऊपर से नीचे होना। ● सामान्य बातों को लम्बा घसीटना।	● वातावरण लोगों को लगातार मिलने से रोकता है। इससे टीम भावना विकसित नहीं होती है। ● काम करने के लिए टीम को पर्याप्त संसाधन नहीं दिये जाते हैं। ● टीम के प्रयासों को पहचान/मान्यता नहीं मिलती है। ● जिस संगठन में टीम कार्यरत है वहां उसकी अनदेखी/उपेक्षा होती है। ● सदस्यों में आपसी द्वन्द्व होना। ● व्यक्तिगत मनमुटाव एवं प्रतिस्पर्धा होना।

सत्र–9 षिक्षा के लिए वातावरण निर्माण हेतु विषेष अभियान

परिचय :–बच्चों की षिक्षा के लिए अभी भी समुदाय में उचित वातावरण नहीं है। विषिष्ट अभियान कार्यक्रमों का आयोजन कर जन जागरूकता का संचार किया जाना महत्त्वपूर्ण होता है। इन अभियानों की सफलता के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है, जिसमें यथा संभव संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी ;ब्ब्थ्द्ध, विद्यालय प्रषासन, जन प्रतिनिधि, पंचायत एवं बालिकाओं के अभिभावकों को भी शामिल किया जाता है।

उद्देष्य–

- समुदाय से प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में प्रवेष दिलाना।
- प्रत्येक बच्चे की विद्यालय में नियमितता एवं ठहराव बनाये रखना।
- बच्चे विद्यालय नहीं छोड़े ऐसा वातावरण बनाये रखना।

विधा :	**समय :**	**सामग्री :**
● वार्म अप ● समूह कार्य	● 40 मिनट	● विप कार्ड़ (प्रतिभागियों की संख्यानुसार), चार्ट पेपर स्कैच पैन, ब्लैक बोर्ड व चॉक।

गतिविधि– 1 समूह कार्य

चरण 1–प्रतिभागियों को चार समूहों में विभक्त करें। प्रत्येक समूह को निम्नलिखित विषयों में से एक–एक विषय पर चर्चा करने का निर्देश दें। समूह महत्त्वपूर्ण चर्चा–बिन्दुओं को चार्ट पेपर पर लिखें।

समूह 1–विद्यालय चलें अभियान।समूह 2 –विद्यालय सत्र के दौरान।

समूह 3–विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रयास समूह।4. प्रवेष उत्सव।

चरण 2–सभी समूहबारी–बारी से अपने कार्य का प्रस्तुतीकरण करें। प्रत्येक समूह की प्रस्तुति के पष्चात् अन्य समूहों को भी शेष महत्त्वपूर्ण बिन्दु जोड़ने के लिए प्रेरित करें।

चरण 3–सभी समूहों की प्रस्तुति के पष्चात् परिशिष्ट में दी गई जानकारी सेविद्यालय चले अभियान को स्पष्ट करते हुए समेकित करें–

परिशिष्ट 9

विद्यालय चलें अभियान

प्रतिवर्ष जुलाई व अगस्त माह में विद्यालयों में नामांकन प्रक्रियाएँ चलती हैं। इस दौरान गांवों में एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपने बच्चे को विद्यालय में प्रवेष दिलवाने के लिए स्वप्रेरित हों। विद्यालय नामांकन/प्रवेष के समय आयु आदि की समस्याएँ दूर करें।

यह अभियान विद्यालय खुलने से एक महीना पहले चलाया जाए। गाँव/ बस्ती के हर बच्चे को विद्यालय में दाखिल कराने की जिम्मेदारी सिर्फ उनके परिवारों की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की है। जिन परिवारों में विद्यालय जाने की आयु के बच्चे हैं, उन्हें पूरी जानकारी दी जाना चाहिए।

अन्य गतिविधियाँ जो प्रेरक समुदाय स्तर पर आयोजित कर सकता है–

- जो बच्चे पहले से विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वे हाथों में तख्तियाँ लेकर टोलियों/गली/मौहल्लों में रैली/जुलूस निकालें। तख्तियों पर प्रेरणादायी नारे लिखे जा सकते हैं जैसे–विद्यालय चलें हम। सब पढ़े–सब बढ़े।
- बच्चे नुक्कड़ नाटक करें। गली–गली घूमकर ऐसे गीत गाएँ, जिनमें बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने के फायदे बताए जाएं, और जिनसे परिवारों और उनके बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने की प्रेरणा मिले।
- बैठक जन जागरूकता समुदाय में काम करने वाले विभिन्न संगठन और संस्थाएँ, जैसे महिला समूह/युवा समूह और ग्राम पंचायतें पूरे गाँव/बस्ती की बड़ी बैठकों और मौहल्ला बैठकों में इस बारे में बात करें। माता–पिता को समझाएँ कि वे बच्चों को विद्यालय में दाखिल कराएँ।

परिशिष्ट 10

विद्यालय प्रवेष उत्सव
विद्यालय सत्र का पहला दिन

विद्यालय सत्र के पहले दिन प्रवेशोत्सव मनाया जाता है, जिससे सभी बच्चों को सारे इलाके में कुछ ऐसा लगेगा कि कोई विषेष दिन है, कोई विषेष मौका है।

इसके लिए प्रेरकों द्वारा कुछ गतिविधियाँ की जा सकती हैं–

- विद्यालयों को सजाएँ। विद्यालय के दरवाजे पर झंडियाँ और तोरण से सजावट करें।
- ग्राम प्रधान, पंचायत या अन्य चुने हुए सदस्य को प्रेरित करें कि वे पहले से ही विद्यालय पहुँच कर वहां आने वाले बच्चों का स्वागत करें।
- माता–पिता, दादा–दादी, नाना–नानी परिवार के सभी सदस्यों को बच्चों को सजा–धजाकर विद्यालय लेकर आने के लिये प्रेरित करें।
- पहले दिन विद्यालय के बाद सभी बच्चे गाँव/बस्ती का चक्कर लगाकर प्रवेष उत्सव का समापन करें।
- विद्यालय में पहले से पढ़ रहे बच्चों के सहयोग से पहले दिन नाटकों/गीतों/खेलकूद के आयोजन भी करें, जिससे पहली बार विद्यालय आए बच्चों को विद्यालय का माहौल अच्छा और रोचक लगे।

परिशिष्ट 11

विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रयास

परिचय–

बहुत से बच्चे, विषेषकर लड़कियाँ, विद्यालय में दाखिला तो लेते हैं लेकिन किसी न किसी कारण रोजाना विद्यालय नहीं जाते या बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिन बच्चों ने विद्यालय में दाखिला लिया है, वे नियमितविद्यालय आएँ और विद्यालय की पढ़ाई पूरी करें।

प्रयास जो करने हैं–

इसके लिए विद्यालय का सत्र शुरू होने के दो–तीन महीने बाद कुछ और विषेष गतिविधियाँ हो सकती है–

- षिक्षकों से मिलकर विद्यालय के हाजिरी रजिस्टर से देखें कि जिन बच्चों के नाम दर्ज हैं वे सब रोजाना विद्यालय आते हैं या नहीं। जो बच्चे विद्यालय में लम्बे समय से अनुपस्थित हैं उनकी सूची बनाएँ।
- अब इन बच्चों के घर जाकर पता लगाएँ कि वे रोजाना विद्यालय क्यों नहीं आते या उन्होंने पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी। बच्चों और उनके माता–पिता को समझाएँ कि रोजाना विद्यालय जाना क्यों जरूरी है।
- ऐसे परिवारों के उदाहरण दें, जो वैसी ही हालात में रहते हैं, फिर भी अपने बेटों और बेटियों को रोजाना विद्यालय भेजते हैं।
- माता–पिता को इस बात के लिए बढ़ावा दें कि वे अपने बच्चों को रोजाना समय पर विद्यालय भेजें।
- विद्यालयों में षिक्षक पढ़ाने का तरीका और अधिक दिलचस्प बनाएं ताकि बच्चों की दिलचस्पी बनी रहे। बच्चों के लिए खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाएँ उपलब्ध कराएं।
- पूरे गाँव/बस्ती की जागरूकता बैठक करें। मौहल्ला बैठक करें।
- इन बैठकों में माता–पिता को समझाएँ कि बच्चों को रोजाना विद्यालय भेजें और बच्चों, विषेषकर बालिकाओं का विद्यालय न छुड़वाएँ।
- इसके लिए क्या मीना को विद्यालय छोड़ना पड़ेगा और फिल्में भी दिखाई जा सकती है।

परिशिष्ट 12

विद्यालय सत्र के दौरान

आपने जिन घरों में जाकर बच्चों को विद्यालय में दााखिल कराने को कहा था, विद्यालय सत्र शुरू होते ही उन घरों में दोबारा जाकर देखें कि बच्चों को विद्यालय में दाखिल कराया गया है या नहीं? सभी बच्चे रोजाना विद्यालय जा रहे हैं या नहीं? अगर वे विद्यालय नहीं जा रहे तो विद्यालय न जाने का कारण पता लगाएँ और उनकी समस्या हल करें ताकि बच्चे विद्यालय जा सकें।

अगर परिवार के बच्चे विषेषतः लड़कियाँ विद्यालय जा रही है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि–

- आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है?

- उसे विद्यालय जाना अच्छा लगता है क्या?
- क्या वह रोजाना विद्यालय जाती है?
- कभी–कभी विद्यालय क्यों नहीं जा पाती?
- क्या परिवार का हर सदस्य घर के काम में हाथ बँटाता है ताकि बेटी को रोजाना विद्यालय जाने और घर में पढ़ने का समय मिल सके?इत्यादि।

सत्र–10	**समेकन**

यह सत्र पूरे दिन में दिये गये कार्य का पुनरावलोकन व दोहरान करने के लिए है। सत्र की शुरूआत करने से पूर्व संदर्भ व्यक्ति दिये गये चार्ट को ब्लैक बोर्ड या चार्ट पेपर पर बना ले और प्रतिभागियों से बातचीत करें कि आज हमने किन–किन विषयों/मुद्दों पर बातचीत की है।

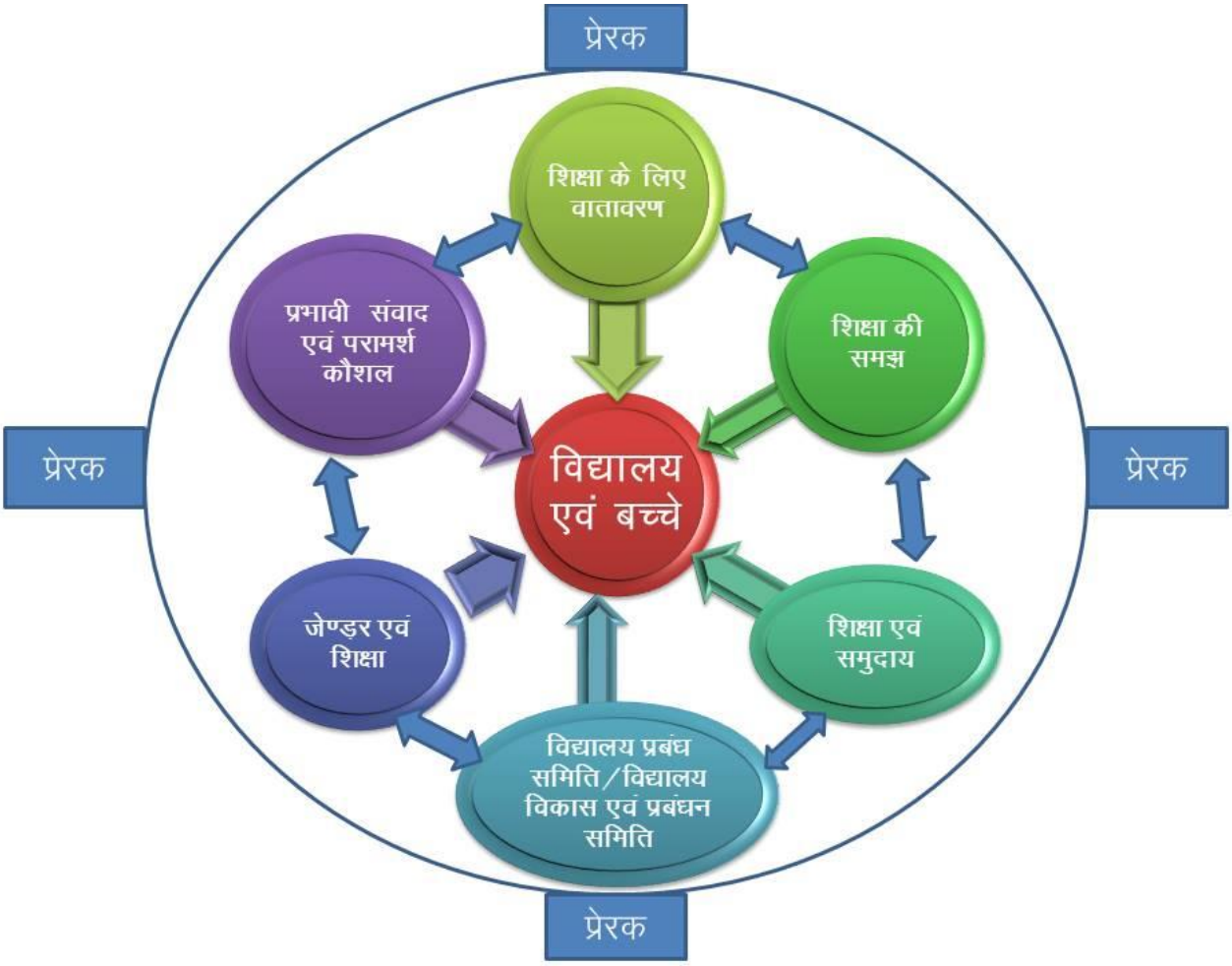

उपर्युक्त चार्ट को पूरे दिन की चर्चा के समेकन के रूप में प्रस्तुत करते हुए बताये कि हम सभी के लिए विद्यालय एवं बच्चे ही मुख्य केन्द्र है, इनके सहयोग के लिए शिक्षा का ढाँचा व व्यवस्था है। इनके अन्य काम करने वाले लोगों को शिक्षा की बुनियादी समझ होना आवश्यक है। इसलिए हमने शिक्षा की समझ सत्र में बातचीत की है, इसके अतिरिक्ति समुदाय विद्यालय की महत्त्वपूर्ण कड़ी है इसके लिए विद्यालयी ढ़ाँचे में एसएमसी/एसडीएमसी बनायी गयी है। लड़कियों की शिक्षा समाज व लड़कियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। अतः हमने बालिका शिक्षा पर बातचीत की है। संदर्भ व्यक्ति इस बातचीत के दौरान सत्रों के मुख्य बिन्दुओं का भी दोहरान करें।

सत्र के आखिरी में उपर्युक्त कार्यों में प्रेरक की भूमिका, कार्य व आवश्यक कौशलों को भी संक्षेप में बताये। सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए कार्यशाला का समापन करें।